ऊर्जा, अवसंरचना और संचार

11
अध्याय

बारहवीं पंचवर्षीय योजना ऊर्जा सहित अवसंरचना क्षेत्र के विकास पर विशेष बल देती है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना की उपलब्धता उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिए ही नहीं वरन् इस वृद्धि को समावेशी बनाना सुनिश्चित करने हेतु भी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 56.3 लाख करोड़ रुपये (लगभग 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर) है जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए निवेश से लगभग दोगुना है। यह वृद्धित निवेश मुख्यतया निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी के कारण व्यवहार्य होगा जो परिकल्पित है। अवसंरचना परियोजनाओं को खोलने से सरकारी निजी भागीदारियों और अधिक पारदर्शी विनियामक तंत्रों ने अवसरंचना क्षेत्रों में अपने उद्भासन स्तरों को बढ़ाने के लिए निजी निवेशकों को प्रेरित किया है। अवसंरचना निवेश में उनका हिस्सा दसवीं पंचवर्षीय योजना में 22 प्रतिशत से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 38 प्रतिशत हो गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसके बढ़कर 48 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। फिर भी, अवसंरचना के लिए अपेक्षित आधे से अधिक संसाधन सरकारी क्षेत्र, सरकार और अर्ध सरकारी संसाधनों से आने की जरूरत होगी। इससे वित्तीय गुजांइश का सृजन ही नहीं होगा अपितु युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण नीति के प्रयोग की जरूरत भी होगी। इसके अतिरिक्त, सतत् आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक विनियामक तंत्र स्थापित करके पारदर्शी और उद्देश्यपरक तरीके से उनकी भागीदारी हेतु रूपरेखा को पुन: परिभाषित करने की भी जरूरत होगी। इस अध्याय में भारत में अवसंरचना क्षेत्र खासकर ऊर्जा परिदृश्य में हाल के घटनाक्रमों और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किए गए लक्ष्यों और मील पत्थरों के परिप्रेक्ष्य में इन क्षेत्रों में चुनौतियों और अवसरों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

कार्यनिष्पादन का सिंहावलोकन

11.2 अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में लंबा समय लगता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरियां लक्ष्यों की प्राप्ति में कमियां ही नहीं वरत् उपलब्धता के अंतरालों को भी बड़ा कर देती हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगने वाला अतिरिक्त समय कई अवसंरचना क्षेत्रों में निम्न उपलब्धि के कारणों में से एक कारण बना हुआ है। केन्द्रीय क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली बड़ी परियोजनाओं की सितंबर 2012 के महीने की प्रास्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि 566 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं समय सारणी से पहले, 226 परियोजनाएं समय पर और 25 परियोजनाएं पूरे करने की अपनी नवीनतम समय सारणियों के अनुसार विलंब से चल रही थीं। भूमि अधिग्रहण, नगरपालिकाओं से अनुमतियों, सामग्री की आपूर्ति, कार्य का दिया जाना, कार्यप्रचालनात्मक मुद्दे आदि में देरियां इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बोझ से दबाते रहे हैं। क्षेत्रवार, कोयला क्षेत्र में 51 में से 21 परियोजनाएं देरी से चल रही थीं, पेट्रोलियम क्षेत्र में 71 में से 37 परियोजनाएं देरी से चल रही थीं, विद्युत क्षेत्र में 98 में से 45 परियोजनाएं देरी से चल रही थीं और रेलवे में 127 में से 40 परियोजनाएं देरी से चल रही थीं और सड़क क्षेत्र में कुल 146 परियोजनाओं में से 86 विलंब से चल रही थीं। समग्र बढ़ी हुई लागत मूल लागत का 16.8 प्रतिशत बैठती है और सितम्बर 2012 तक परियोजनाओं की प्रत्याशित लागत का सिर्फ 45.5 प्रतिशत ही उपगत हुआ था।

11.3 बड़े उद्योगों और अवसंरचना सेवाओं के प्रमुख क्षेत्रवार कार्यनिष्पादन ने चालू वित्त वर्ष में अब तक मिलीजुली प्रवृत्ति

दर्शायी है। कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम शोधन के उत्पादन के चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। इस्पात और विद्युत क्षेत्र का कार्यनिष्पादन तुलनात्मक रूप से कम हुआ था। उर्वरक, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान गिरावट हुई हैं। अवसंरचना सेवाओं, रेलवे द्वारा माल की ढुलाई और बड़े पत्तनों द्वारा संचालित माल में अभी तक तुलनात्मक रूप से बढ़ोत्तरी हुई है जबकि नागर विमानन क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि देखी गई है। सड़क क्षेत्र में एनएचएआई ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 17.3% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है (सारणी 11.1)।

ऊर्जा

11.4 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 55,000 मेगावाट की नई सृजन क्षमता सृजित की गई थी परन्तु अभी भी 8.7 प्रतिशत की समग्र ऊर्जा कमी और 9.0 प्रतिशत की शीर्ष कमी बनी हुई है। फिलहाल, ऊर्जा आपूर्ति हेतु आवंटित वर्तमान संसाधन ऊर्जा की आवश्यकताओं और इसकी उपलब्धता के अंतर को कम करने में पर्याप्त नहीं है। असल में, यह अंतर बढ़ सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ की ओर होगी। भारत की ऊर्जा संबंधी अड़चनों को दूर करने में सफलता अनुमानित विकास परिणामों को सहायता देने में महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है। इसके अतिरिक्त, भारत की आयातित कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भरता यह महत्वपूर्ण बना देती है कि एक इष्टतम ऊर्जा मिश्रण सतत् विकास के दीर्घावधिक लक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति देगा।

आरक्षित भंडार और ऊर्जा सृजन की संभावना

11.5 ऊर्जा के सृजन की संभावना देश के प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी निधियों और उन्हें काम में लेने की प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है। भारत के पास नवीकरणीय-भिन्न भंडार (कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (हाइड्रो, वायु, सौर, बायो मास और सह सृजन खोई)

सारणी 11.1 : प्रमुख उद्योगों और अवसंरचना की सेवाओं में वृद्धि (प्रतिशत)

क्रम सं.	क्षेत्र	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2011 (अप्रैल-दिस.)	2012 (अप्रैल-दिस.)
1	विद्युत	बिलियन यूनिट	6.8	5.7	8.1	9.3	4.6
2	कोयला	मि॰ टन	8	0	1.3	-2.7	5.7
3	परिष्कृत इस्पात	मि॰ टन	3.2	9.6	8.5	9.1	3.6
4	उर्वरक	मि॰ टन	13.2	1	-0.1	-0.5	-3.4
5	सीमेंट	मि॰ टन	10.1	4.3	6.4	5.8	6.1
6	**पेट्रोलियम**						
	(क) तेल	मि॰ टन	0.5	11.9	1	1.9	-0.4
	(ख) रिफाइनरी	मि॰ टन	-0.4	3	3.2	4	6.9
	(ग) प्राकृतिक गैस	मि॰ टन	44.8	9.9	-8.9	-8.8	-13.3
7	रेलवे राजस्व अर्जक माल ढुलाई	मि॰ टन	6.6	3.8	5.2	4.2*	4.7*
8	प्रमुख पत्तनों पर संचालित माल	मि॰ टन	5.7	1.6	-1.7	1.3*	-2.9*
9	**नागर विमानन**						
	(क) कारगो संचालित निर्यात	टन	10.4	13.4	-2.2	-1.3*	-1.0*
	(ख) कारगो संचालित आयात	टन	7.9	20.6	-1.6	1.8*	-9.7*
	(ग) अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर संचालित यात्री	लाख	5.7	11.5	7.6	7.5*	2.8*
	(घ) घरेलू टर्मिनलों पर संचालित यात्री	लाख	14.5	16.1	15	18.5*	-5.5*
10	दूरसंचार-सेल फोन कनैक्शन	हजार लाइनें	47.3	18	-52.7	-49.6*	-
11	सड़कें राजमार्गों का स्तरोन्नयन@						
	i) एनएचएआई	कि॰ मी॰	30.9	21.4	-33.3	2.9*	17.3*
	ii) एनएच (ओ) एवं बीआरडीबी	कि॰ मी॰	17.3	4	-6.8	-32.4*	-2.8*

स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार, डीआईपीपी का कार्यालय

टिप्पणी: * इसमें चार लेन और दो लेन वाली सड़कों को चौड़ा करना तथा केवल विद्यमान कमजोर खडंजों को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

 # अनंतिम

टिप्पणी : एनएचए(ओ)-राष्ट्रीय राजमार्ग संगठन और बीआरडीबी- सीमा सड़क विकास बोर्ड है।

दोनों हैं। मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार भारत के पास अनुमानित कोयला भंडार लगभग 286 बिलियन टन, लिग्नाइट 41 बिलियन टन, कच्चा तेल 757 मिलियन टन और प्राकृतिक गैस 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अनुमानित हाइड्रो क्षमता (25 मेगावाट से ऊपर) लगभग 145 गीगा वाट है। बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं के अलावा विभिन्न स्रोतों से नवीकरणीय विद्युत सृजन की कुल संभावना 89,760 मेगावाट थी। नवीकरणीय-भिन्न और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की अनुमानित भंडार संभावना नए भंडारों की खोज व विकास तथा उनकी खोज की गति को बदल देती है।

ऊर्जा का उत्पादन

11.6 कोयला, लिग्नाइट, कच्चा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली जैसे पारंपरिक ऊर्जा के मुख्य स्रोतों से उत्पादन की प्रवृत्ति दर्शाती है कि पिछले चार दशकों अर्थात् 1970-71 से 2010-11 तक कोयला, लिग्नाइट, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली (हाइड्रो और नाभिकीय) के उत्पादन की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 5.0 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत, 4.32 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत (चित्र 11.1) थी। सभी प्रमुख ऊर्जा स्रोतों के ऊर्जा समकक्ष के अर्थों में 2010-11 में कोयला और लिग्नाइट, बिजली (हाइड्रो और नाभिकीय) और प्राकृतिक गैस क्रमशः 52 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 11 प्रतिशत थी।

पारंपरिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति

11.7 भारत में पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा की खपत की प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि पिछले चार दशकों अर्थात् 1970-11 से 2010-11 तक के दौरान कोयला, लिग्नाइट, शोधन उत्पादन के अर्थों में कच्चे तेल और बिजली (ताप, हाइड्रो और नाभिकीय) की खपत सीएजीआर की क्रमशः 5.30 प्रतिशत, 6.05 प्रतिशत, 11.25

चित्र 11.1: प्राथमिक स्रोतों द्वारा भारत के ऊर्जा के उत्पादन की प्रवृत्तियां

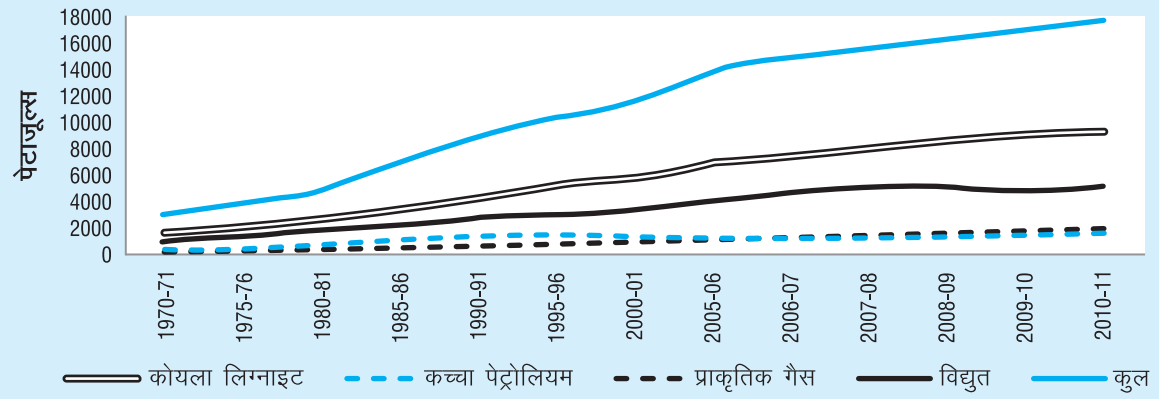

स्रोत : ऊर्जा सांख्यिकी 2012, केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय (सीएसओ)

टिप्पण : ताप विद्युत, विद्युत में शामिल नहीं हैं चूंकि यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है।

चित्र 11.2: भारत में परम्परागत ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियां

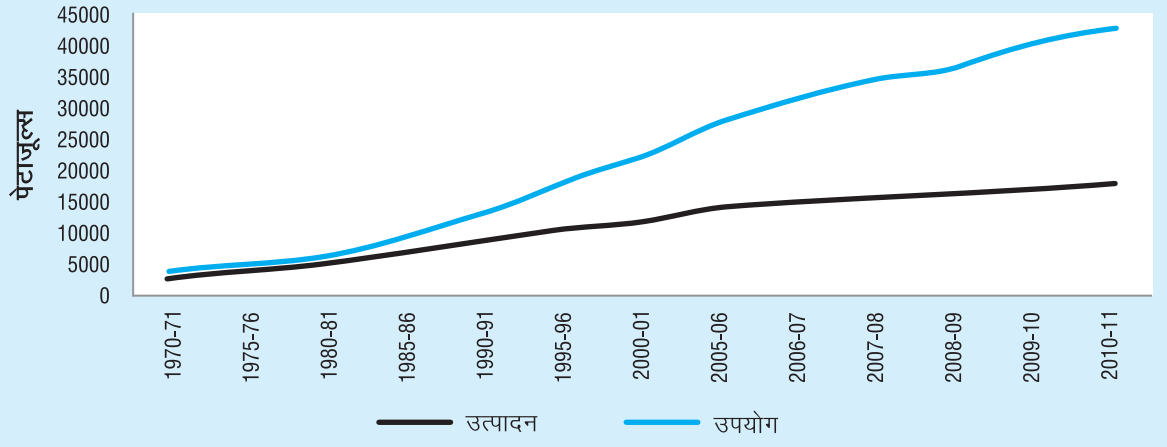

प्रतिशत और 6.63 प्रतिशत बढ़ी है। पेटा जूल्स के अर्थों में सभी पारंपरिक स्रोतों से कुल ऊर्जा की खपत में 1970-71 से 2010-11 के दौरान वृद्धि 6.04 प्रतिशत हुई थी (चित्र 11.2)। इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 5.30 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। ऊर्जा प्रयोग (किलोवाट प्रति रुपया) का लचीलापन, सकल घरेलू उत्पादन की एक यूनिट के उत्पादन हेतु खपत हुई ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित, हालांकि, एक से कम रही है। प्राथमिक स्रोतों के अनुसार पेटा जूल्स के अर्थों में व्यक्त ऊर्जा की खपत पद्धति दर्शाती है कि बिजली का उत्पादन 2010-11 के दौरान ऊर्जा के सभी प्राथमिक स्रोतों से कुल खपत का लगभग 51 प्रतिशत बैठता था और उसके बाद कोयला और लिग्नाइट (25 प्रतिशत) व कच्चे पेट्रोलियम (20 प्रतिशत) का स्थान आता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद के दौरान ऊर्जा परिदृश्य

11.8 बारहवीं योजना ने 2016-17 में ऊर्जा के तेल समकक्ष के 669.6 मिलियन टन और 2021-22 में 844 मिलियन टन के कुल घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाया है। घरेलू उत्पादन संभावित ऊर्जा क्षमता का लगभग 71 प्रतिशत और 69 प्रतिशत पूरा करेगा जबकि शेष 2016-17 में लगभग 267.8 मिलियन टन तेल समकक्ष और 2021-22 में 375.6 मिलियन टन तेल समकक्ष को आयातों से पूरा किए जाने का अनुमान है। कच्चे तेल और कोयले के मामले में आयात निर्भरता 2016-17 तक क्रमशः लगभग 78 प्रतिशत और 22.4 प्रतिशत अनुमानित है। कोयला और लिग्नाइट ऊर्जा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बने रहेंगे और 2021-22 तक इन दो ईंधन उत्पादों का हिस्सा उत्पादित कुल वाणिज्यिक ऊर्जा में लगभग 66.8 प्रतिशत और खपत हुई कुल वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 56.9 प्रतिशत होगा। उत्पादन और उपभोग में कच्चे तेल का हिस्सा क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 23 प्रतिशत होने की संभावना है। ऊर्जा की खोज व दोहन, क्षमता वर्धन, स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प, परिरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार इस प्रकार, ऊर्जा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बॉक्स 11.1 में भारत में ऊर्जा के मूल्य निर्धारण की तस्वीर दी गई है।

विद्युत

उत्पादन

11.9 विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन 2012-13 में 6.05 प्रतिशत बढ़ाकर 930 बिलियन यूनिट लक्षित था। अप्रैल से दिसम्बर,2012 के दौरान विद्युत उपादन में वृद्धि अप्रैल-दिसम्बर

बॉक्स 11.1 : ऊर्जा का मूल्य निर्धारण

सरकार तार्किक ऊर्जा के मूल्य निर्धारण की आर्थिक भूमिका की प्रशंसा करती है। ऊर्जा के तार्किक मूल्य उत्पादकों व उपभोक्ताओं, दोनों को ही सही संकेत देते हैं जो एक तरफ उपभोग कम करने और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन देते हुए मांग-आपूर्ति के संतुलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। घरेलू ऊर्जा मूल्यों, विशेषतया जब भारी आयात अंतर्विष्ट हों, को वैश्विक मूल्यों के समान करना एक आदर्श विकल्प है क्योंकि असमानता सूक्ष्य और बृहद आर्थिक समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। सूक्ष्य आर्थिक स्तर पर उपभोक्ता को कम मूल्य पर ऊर्जा उसे ऊर्जा-सक्षम होने में सिर्फ प्रोत्साहन को ही कम नहीं करती बल्कि यह वित्तीय असंतुलन भी पैदा करती है। विसर्पण और अनुचित प्रयोग अन्य निहितार्थ हो सकते हैं। उत्पादक का कम मूल्य निर्धारण उसके प्रोत्साहन व इस क्षेत्र में निवेश करने की समर्थता को घटाता है और आयातों पर निर्भरता को बढ़ाता है।

वर्षों से भारत की ऊर्जा की कीमतें असमान हो गई हैं और कई उत्पादों में तो ये वैश्विक कीमतों से अब काफी कम हैं असमानता का यह तत्व प्रचूर है जो भारी अलक्षित सब्सिडियों का कारण बन रहा है।

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की कीमतें युक्तिसंगत बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं। एकीकृत ऊर्जा नीति ने कोयले की मूल्य निर्धारण प्रणाली की स्थूल रूपरेखा रेखांकित की है। कोयले का मूल्य निर्धारण उपयोगी ताप मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारण की पूर्व प्रणाली के स्थान पर अब 3 जनवरी, 2012 से सकल कैलोरीकृत मूल्य पर किया जाता है जिसमें कार्बन तत्व के ताप मूल्य के अतिरिक्त राख तत्व में छिपे ताप को भी हिसाब में लिया जाता है। सकल कैलोरीकृत मूल्य में संशोधन से कुछ हद तक कोयले की घरेलू कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है परन्तु यह एक वांछनीय समायोजन है क्योंकि गुणवत्ता वाली भिन्नताओं हेतु समंजित घरेलू तापीय कोयले का मूल्य कम ही निर्धारित किया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के मामले में सरकार ने 2002 में प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र को समाप्त कर दिया है। हालांकि, यह निर्णय पूरी तरह लागू नहीं हुआ था और वैश्विक मूल्य वृद्धियों के घरेलू पासथ्रू पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और एलपीजी के लिए मंद बने रहे हैं। सरकार ने 25 जून 2010 को घोषणा की है कि पेट्रोल की कीमत पूर्णतया नियंत्रण मुक्त कर दी गई थी और तेल कंपनियों को आवधिक रूप से इनकी कीमतें तय करने की छूट दे दी गई थी। हालांकि, डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करना आस्थगित कर दिया गया था। सरकार ने जनवरी 2013 में डीजल में निम्न वसूलियों को कम करने के लिए धीरे-धीरे मूल्य वृद्धि करने की व्यवस्था का नया खाका घोषित किया है। एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडीकृत संख्या व एलपीजी की कीमतों की स्वीकृति हाल ही में संशोधित की गई है।

वर्तमान में गैस का मूल्य निर्धारण नई खोज लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत किया जाता है। सरकार मूल्य निर्धारण सूत्र के अध्यधीन एनईएलपी ब्लाकों से उत्पादित गैस के लिए बाजार-निर्धारित मूल्य पर आपरेटर द्वारा गैस का मूल्य लगाने की स्वतंत्रता है। सरकार उन उत्पादकों, जो गैस के विपणन के लिए स्वतंत्र हैं, की सीमा स्पष्ट करने के लिए मूल्य हिस्सेदारी संविदा के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की समीक्षा कर रही है।

सारणी 11.2 : बिजली उत्पादन एककों द्वारा विद्युत उत्पादन (बिलियन कि. वाट)

श्रेणी		अप्रैल-दिसम्बर		वृद्धि
	20011-12	2011-12	2012-13	(प्रतिशत)
बिजली उत्पादन	876.887	580.664	683.753	4.55
पन-बिजली#	130.510	100.178	92.543	(-)13.9
थर्मल	708.806	454.404	561.879	8.55
नाभिकीय	32.286	21.183	24.653	3.54
भूटान से आयात	5.285	4.898	4.677	(-)7.49

स्रोत : विद्युत मंत्रालय
टिप्पणी: #इसमें 25 मेगावाट तक हाइड्रो स्टेशनों का उत्पादन शामिल नहीं है।

2011 के दौरान लगभग 9.33 प्रतिशत की तुलना में 4.55 प्रतिशत थी (सारणी 11.2)।

11.10 ताप बिजली की श्रेणी में कोयले, लिग्नाइट और गैस आधारित स्टेशनों से उत्पादन में वृद्धि क्रमशः 13.90 प्रतिशत, 19. 81 प्रतिशत और (-) 25.49 प्रतिशत थी। ताप विद्युत स्टेशनों की दक्षता के माप के रूप में समग्र संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 2011 के दौरान प्राप्त 71.94 प्रतिशत के संयंत्र भार कारक की तुलना में गिरकर 69.63 प्रतिशत रह गया (सारणी 11.3)।

11.11 वर्ष 2009-10 से 2012-13 (अप्रैल से दिसम्बर, 2012 तक) तक का ताप विद्युत केन्द्रों के पीएलएफ का क्षेत्रवार और अंचलवार विवरण समय के साथ साथ आंचलिक अंतर में परिवर्तन दर्शाता है (सारणी 11.4)। चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के संयंत्रों का पीएलएफ घटा है जबकि निजी क्षेत्र के संयंत्रों में सुधार देखा गया है। राज्य क्षेत्र के संयंत्रों का पीएलएफ निजी और केंद्रीय क्षेत्र की तुलना में कम बना रहा है। शीर्ष उपलब्धता और कुल ऊर्जा उपलब्धता के अर्थ में विद्युत आपूर्ति में घाटा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम हुआ है। हालांकि, ऊर्जा घाटा 10वीं योजना (2006-07) के अंतिम वर्ष में 9.6 प्रतिशत से घटकर अप्रैल से दिसम्बर 2012 के दौरान 8.7 प्रतिशत हो गया, शीर्ष घाटा 2006-07 में 13.8 प्रतिशत से गिरकर चालू वित्त वर्ष (दिसम्बर 2012 तक) के दौरान 9.0 प्रतिशत रह गया।

सारणी 11.3 : अप्रैल-दिसंबर, 2012 के दौरान थर्मल विद्युत उत्पादन

संघटक	उत्पादन (बिलियन केडब्ल्यूएच)	वृद्धि (%)	पीएलएफ (प्रतिशत में)	
			अप्रैल-दिस. 2011	अप्रैल-दिस. 2012
कोयला	488.92	13.90	72.23	69.49
लिग्नाइट	23.40	19.81	67.05	73.47
गैस टबाईन	53.87	-25.49	62.01	43.62
डीजल	1.69	-6.44	-	-
थर्मल जोड़	561.80	8.6	71.94	69.63

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

सारणी 11.4 : थर्मल विद्युत स्टेशनों का पीएलएफ

(प्रतिशत)

श्रेणी	2011-12	2011-12	2011-12 (अप्रैल-दिस.)	2012-13 (अप्रैल-दिस.)
i) राज्य-क्षेत्र	66.75	68.00	66.50	65.01
ii) केन्द्रीय क्षेत्र	85.12	82.12	80.16	78.80
iii) प्राइवेट क्षेत्र (उपयोगिताएं)	76.70	76.19	78.10	79.03
क्षेत्र				
i) उत्तरी	78.75	77.48	77.19	69.67
ii) पश्चिमी	75.26	72.04	71.19	69.00
iii) दक्षिणी	80.04	82.19	79.39	80.77
iv) पूर्वी	66.21	63.51	61.37	61.99
v) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	0	0	0	0
अखिल भारत	**75.08**	**73.32**	**71.94**	**69.63**

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

क्षमता वर्धन

11.12 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में 78,000 मेगावाट की क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी जिसमें 19.9 प्रतिशत हाइड्रो, 75.8 प्रतिशत ताप और शेष नाभिकीय थी। ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय यह लक्ष्य ताप, हाइड्रो व नाभिकीय संघटकों का अंशदान क्रमशः 50,757 मेगावाट, 8,237 मेगावाट और 3,380 मेगावाट के चलते संशोधित करके 62,374 मेगावाट किया गया था। ग्यारहवीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट के क्षमता वर्धन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 12वीं योजना अवधि के दौरान क्षमता वर्धन कार्यक्रम के क्रमशः केन्द्रीय क्षेत्रीय में 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 15,530 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 46,825 मेगावाट मिलकर 88,537 मेगावाट अनुमानित है। वर्ष 2012-13 का क्षमता वर्धन लक्ष्य 17,956 मेगावाट निर्धारित किया

http://indiabudget.nic.in

सारणी 11.5 : अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के दौरान क्षेत्रवार और ईंधनवार क्षमता वर्धन (मेगावाट)

क्षेत्र	थर्मल		हाइड्रो		नाभिकीय		जोड़		प्रतिशत
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	का लक्ष्य
केंद्रीय	4023.3	2660	645	264	2000	0	6668.3	2924	43.8
राज्य	3951	1350	87	15	0	0	4038	1365	33.8
निजी	7180	5495	70	70	0	0	7250	5565	76.8
अखिल भारतीय	**15154.3**	**9505**	**802**	**349**	**2000**	**0**	**17956.3**	**9854**	**54.87**

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

गया था। इसके विपरीत, 31 दिसम्बर, 2012 तक 9,854 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है (सारणी 11.5)।

पन बिजली का विकास

11.13 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अध्ययन के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार देश की अभिज्ञात पन बिजली की क्षमता (25 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ)

सारणी 11.6 : पनबिजली संभाव्यता का दोहन

	परियोजना/स्कीमों की संख्या	क्षमता (मेगावाट)
कार्यचालनाधीन	180	39324
निर्माणाधीन	51	13619
सीईए द्वारा अनुमोदित तथा अभी निर्माण शुरू किया जाना है	57	29443
जांचाधीन डीपीआर	32	19259
सर्वेक्षण और जांच	97	20436
योग	**377**	**103019**

स्रोत : विद्युत मंत्रालय

1,45,320 मेगावाट है। आज तक, 434 परियोजनाएं/योजनाएं (सारणी 11.6) प्रचालन/अनुमोदन/अन्वेषण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) संबंधी पहलें

11.14 विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी), जिनमें प्रत्येक 4000 मेगावाट क्षमता की थी, के विकास के लिए पहल शुरू की थी। चार यूएमपीपी नामत: मध्यप्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापतनम तथा झारखण्ड में तिलैया को पहले ही अभिज्ञात विकासकर्ताओं को हस्तांतरित किया जा चुका है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। मुद्रा यूएमपीपी की तीन यूनिटें, प्रत्येक 800 मेगावाट की, मार्च, जुलाई और अक्टूबर, 2012 में प्रारंभ की जा चुकी हैं। चौथी और पांचवीं यूनिटों से आशा है कि वे मई तथा सितम्बर, 2013 में व्यावसायिक प्रचालन प्राप्त कर लेंगी। अन्य प्रदान की गई यूएमपीपी 12वीं योजना में आने की आशा है (तिलैया यूएमपीपी की अंतिम यूनिट को छोड़कर, जिसकी 13वीं योजना में आने की संभावना है)।

पारेषण, व्यापार, पहुंच और विनिमय

राष्ट्रीय ग्रिड

11.15 एकीकृत विद्युत पारेषण ग्रिड, मांग और आपूर्ति के बीच अनपेक्षित बेमेल को दूर करने में सहायक होता है। लगभग 27,750 मेगावाट की विद्यमान अन्तर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को उसी फ्रीक्वेंसी पर प्रचालन कर रहे 'मोड' को तुल्यकालिक रूप में और दक्षिण क्षेत्र को अतुल्यकालिक 'मोड' में जोड़ता है। इससे अप्रैल-नवम्बर, 2012 में लगभग 48,896 मिलियन यूनिटों का अन्तर-क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय हो सका है जिससे उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग होने तथा विद्युत आपूर्ति की स्थिति को सुधारने में योगदान मिला है। दक्षिणी क्षेत्र का शेष क्षेत्रों के साथ तुल्यकालिक एकीकरण 2014 की पहली तिमाही तक स्थापित हो जाने की आशा है।

खुली पहुंच

11.16 खुली पहुंच प्रणाली अपनाकर बिजली क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया है जिसके तहत खरीददार अपने सप्लायर को तथा विक्रेता अपने खरीददार को चुन सकता है। अंतर राज्य स्तर पर खुली पहुंच अब पूरी तरह से प्रचलन में है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2008 द्वारा सृजित सुविधा प्रदायी रूपरेखा ने बाजार में पहुंच के जरिए विक्रेताओं तथा खरीददारों के लिए विनियामक निश्चितता तथा खरीददारों द्वारा चूक में भुगतान की सुरक्षा भी प्रदान की है। वर्ष 2011-12 के दौरान 66,987 मिलियन यूनिट की बिक्री के लिए 24,111 अंतर-राज्य लघु अवधि के खुली पहुंच संबंधी लेनदेन (द्विपक्षीय तथा सामूहिक सहित) अनुमोदित किए गए थे। वर्ष 2012-13 के दौरान (नवम्बर, 2012 तक) 21,185 अंतर-राज्य लघु अवधि के द्विपक्षीय और सामूहिक खुली पहुंच संबंधी लेनदेनों

के जरिए 48,008 मिलियन यूनिट ऊर्जा की बिक्री अनुमोदित की गई थी। केन्द्रीय आयोग ने 2009 में संपर्कता प्रदान करने, दीर्घावधि क पहुंच तथा अंतर-राज्य पारेषण में मध्यम-अवधि की खुली पहुंच से संबंधित विनियम तथा 2010 में अंतर-राज्य पारेषण योजना के निष्पादन के लिए अनुमोदनों हेतु विनियम अधिसूचित किए हैं ताकि उत्पादन विकासकर्ताओं द्वारा मांगी गई दीर्घावधिक पहुंच के आधार पर दक्ष, विश्वनीय, समन्वित तथा किफायती विद्युत पारेषण के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

बिजली का व्यापार

11.17 बिजली में व्यापार को विद्युत व्यापारियों तथा विद्युत केंद्रों के माध्यम से सक्षम बनाया जाता है। यह देश में विद्युत के व्यापार और प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर संसाधनों के सृजन को इष्टतम बना देता है। इसने एक तरफ वितरक संयंत्रों और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के पास उपलब्ध विद्युत की बिक्री तथा दूसरी तरफ मांग में अचानक आई उछाल को पूरा करने के लिए घाटे वाले संयंत्रों द्वारा विद्युत की खरीद में सहायता की है। लघु अवधि के बाजार दीर्घावधिक विद्युत की खरीद संबंधी करारों (पीपीए) के माध्यम के अलावा विद्युत बेचने के विकल्प के साथ जनरेटर भी प्रदान करते हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 61 अंतर-राज्य व्यापार लाइसेंस प्रदान किए हैं जिनमें से 30 नवम्बर, 2012 तक 45 अस्तित्व में हैं। व्यापार के लाभ की सीमाएं है जिन्हें व्यापारियों द्वारा विनियमों के अंतर्गत प्रभारित किया जा सकता है। 3 (तीन) रुपये प्रति यूनिट से कम बिजली के मूल्य वाली लघु अवधि की संविदाओं के लिए व्यापार लाभ 4 (चार) पैसे प्रति यूनिट है और 3 (तीन) रुपये प्रति यूनिट से अधिक बिजली के मूल्य के लिए लाभ की सीमा 7 (सात) पैसे प्रति यूनिट है।

सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां और पुनर्संरचित एपीडीआरपी

11.18 पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) एटीएंडसी हानियों में कटौती के अनुसार वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केंद्रित है। स्कीम के अन्तर्गत परियोजनाओं को दो भागों, शहरी क्षेत्रों-कस्बों और उन नगरों में, जिनकी आबादी 30,000 है, (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10,000) कार्यान्वित किया जाएगा। स्कीम के भाग-क में ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा के लिए बेसलाइन डाटा और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रयोग की स्थापना के लिए परियोजनाएं और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उपभोक्ता सेवा केंद्र शामिल होंगे। स्कीम के भाग ख में नियमित वितरण को मजबूत बनाने की परियोजनाएं शामिल होंगी। अभी तक (30.11.2012 की स्थिति के अनुसार) भाग क (आई टी) के अंतर्गत, 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सभी पात्र कस्बों (1,402) को कवर करने वाली 5196 करोड़ रु. की परियोजनाएं तथा पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा डाटा अधिप्राप्ति के अंतर्गत, 15 राज्यों में 63 कस्बों को कवर करने वाली 1442 करोड़ रु. की परियोजनाएं कवर की गई हैं। भाग ख के अंतर्गत 20 राज्यों में 25684 करोड़ रु. की 1132 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। संस्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आर एपीडीआरपी के अंतर्गत 6304 करोड़ रु. (30.11.2012 की स्थिति के अनुसार) की संचित राशि संवितरित की गई है। कार्य को पूरा करने के लिए बारहवीं योजना के दौरान पुनर्गठित एपीडीआरपी को जारी रखने का एक प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

11.19 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) अप्रैल 2005 में प्रारंभ की गई थी जिनका उद्देश्य उपयुक्त ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के सृजन द्वारा सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना था। गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को निशुल्क कनैक्शन प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा नब्बे प्रतिशत (90 प्रतिशत) पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली 10वीं योजना अवधि के अंतिम दो वर्षों के लिए प्रारंभ में 5,000 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी के साथ यह योजना प्रारंभ की गई थी। 11वीं योजना के दौरान 46,141 बिना बिजली के जनगणना किए गए गांवों, 2,37,981 आंशिक रूप से बिजली वाले जनगणना किए गए गांवों तथा 152.11 लाख गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निशुल्क कनैक्शन देने को कवर करने वाली 341 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इन परियोजनाओं की संशोधि त लागत 20,906 करोड़ रु. है। 2011-12 के दौरान, 1909 बिना बिजली के जनगणना किए गए गांवों, 53505 आंशिक रूप से बिजली वाले जनगणना किए गए गांवों तथा 45.59 लाख गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को निशुल्क कनैक्शनों को कवर करने वाली अतिरिक्त 72 परियोजनाएं 8103 करोड़ रु. की संशोधित लागत के साथ संस्वीकृत की गई थी। 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार, 1,06,116 बिना बिजली के गांवों में विद्युतीकरण कार्य, आंशिक रूप से बिजली वाले 2,73,328 गांवों में गहन विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है तथा 202.60 लाख गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को निशुल्क बिजली के कनैक्शन जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 26664 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी उपयोग की गई है।

पेट्रोलियम

11.20 देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के उन्नत वितरण, विपणन तथा मूल्य निर्धारण के अलावा प्राकृतिक गैस तथा कोल बैड मीथेन (सीबीएम) सहित पेट्रोलियम संसाधनों के अन्वेषण

तथा दोहन को बढ़ाने के लिए बहुत से उपाए किए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन 38.09 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था जिसमें राष्ट्रीय तेल कंपनियों का हिस्सा 72.4 प्रतिशत था। 2012-13 में प्रस्तावित कच्चे तेल का उत्पादन 42.31 एमएमटी है जो 2011-12 में कच्चे तेल के उत्पादन की अपेक्षा लगभग 11.1 प्रतिशत अधिक है। कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि मुख्यत: बाड़मेर फील्ड्स, राजस्थान में हुए कच्चे तेल के अधिक उत्पादन के कारण अपेक्षित है। राजस्थान में कैर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन 29 अगस्त, 2009 को प्रारंभ हुआ था और वह अप्रैल- नवम्बर, 2012 के दौरान 2011-12 की उसी अवधि के दौरान 4.26 एमएमटी के कुल उत्पादन के मुकाबले 5.77 एमएमटी हो गया था। अप्रैल-नवम्बर, 2012-13 के दौरान समग्र कच्चे तेल का उत्पादन 25.39 एमएमटी था, तथापि, पिछले वर्ष की उसी अवधि में (-) 0.54 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है।

11.21 वर्ष 2011-12 में औसत प्राकृतिक गैस का उत्पादन 130 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) था जो मुख्यत: के जी डी 6 गहरे जल ब्लाक से कम उत्पादन के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा 9 प्रतिशत कम था। 2012-13 में प्रस्तावित प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग 117.8 एमएमएससीएमडी है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 9 प्रतिशत कम है। अप्रैल-नवम्बर, 2012-13 के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 32.28 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) की तुलना में 28.05 बिलियन क्यूबिक मीटर था।

घरेलू तेल और गैस का अन्वेषण

11.22. नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) 1999 में अपनायी गई थी। भारत के पास 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर का अनुमानित अवसादी क्षेत्र है जिसमें 26 अवसादी थालें हैं। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) को अपनाने से पहले, केवल 11 प्रतिशत भारतीय अवसादी थालें अन्वेषण के अधीन थीं। 1999 में एनईएलपी के प्रचालन से, सरकार ने अन्वेषण के लिए भारतीय अवसादी थालों का 47.3 प्रतिशत क्षेत्र प्रदान किया है। अभी तक 39 एनईएलपी ब्लाकों में 117 तेल और गैस की खोजें की गई हैं। अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार, एनईएलपी के अंतर्गत, तेल समतुल्य हाइड्रोकार्बन भंडारों का लगभग 737 एमएमटी जोड़ा गया है। अप्रैल, 2012 तक भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया निवेश 20.2 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें से 12.1 बिलियन अमरीकी डालर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा 8.1 बिलियन अमरीकी डालर खोजों के विकास पर था। अन्वेषण की गति को और अधिक बढ़ाने के लिए एनईएलपी के नौंवे दौर (एनईएलपी-ix) में 34 अन्वेषण ब्लाकों का प्रस्ताव रखा गया था। इन 34 अन्वेषण ब्लाकों में 8 गहरे पानी के ब्लाक, 7 छिछले पानी के ब्लाक, 11 भूमि के ऊपर के ब्लाक तथा 8 टाइप एस भूमि के ऊपर के ब्लाक शामिल हैं। 19 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं आवंटियों के साथ पहले ही हस्ताक्षरित की जा चुकी हैं। अभी तक एनईएलपी के अंतर्गत कुल 254 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं हस्ताक्षरित की गई हैं।

अन्य गैसीय ईंधन का घरेलू अन्वेषण

सीबीएम

11.23 भारत के पास विश्व के चार सबसे बड़े प्रमाणित कोयला भंडार हैं और इनमें सीबीएम के अन्वेषण और दोहन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। सीबीएम नीति के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में 33 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं। देश में सीबीएम अन्वेषण हेतु 26,000 वर्ग कि॰मी॰ के कुल उपलब्ध कोयला क्षेत्र में से लगभग 17,000 वर्ग कि॰मी॰ में अन्वेषण प्रारंभ किया गया है। देश में पूर्व अनुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (टीसीएफ) है, जिसमें से अभी तक केवल 8.92 टीसीएफ स्थापित किए गए हैं। भारत में सीबीएम का व्यावसायिक उत्पादन लगभग 0.23 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएमडी) के चालू सीबीएम गैस उत्पादन के साथ एक वास्तविकता बन गया है।

शैल गैस

11.24 शैल गैस देश में ऊर्जा के महत्वपूर्ण नए स्रोत के रूप में उभर सकती है। भारत में अनेक शैल स्वरूप हैं जहां शैल गैस पाया जाना प्रतीत होता है। ये स्वरूप कई तलछट थालों में फैले हुए हैं जैसे कैम्बे, गोंडवाना, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय ने शैल गैस अन्वेषण के लिए संभावित क्षेत्रों का पता लगाने हेतु कदम उठाए हैं। सरकार ने विद्यमान आंकड़ो के विश्लेषण के लिए और भारत में शैल गैस विकास के लिए विधितंत्र सुझाने के लिए डीएचजी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लि॰ (ओआईएल) तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ (जीएएआईएल) की एक बहुसंगठनात्मक टीम बनायी है। इसके अलावा, भारत में शैल गैस संसाधनों के आकलन, भारतीय भू-वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा विनियम रूपरेखाओं को बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य विभाग, अमरीका तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने टिप्पणियां आमन्त्रित करने के लिए मसौदा शैल गैस/गैस नीति को लोगों के बीच रखा था। विभिन्न हितधारकों/एजेंसियों से प्राप्त विचारों/टिप्पणियों की जांच की रही है।

विदेशों से इक्विटी ऑयल तथा गैस

11.25 देश में हाइड्रोकार्बन की मांग और आपूर्ति के प्रतिकूल संतुलन को देखते हुए, विदेशों से इक्विटी ऑयल तथा गैस आस्तियां अधिग्रहित करना ऊर्जा सुरक्षा के बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण घटक है। सरकार विदेशों से इक्विटी ऑयल तथा गैस के अवसरों को तेजी से तलाशने के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने अपनी सूडान, वियतनाम, वेनेजुएला, रूस, सीरिया, ब्राजील, दक्षिणी सूडान तथा कोलंबिया स्थित विदेशी आस्तियों से 2011-12 के दौरान लगभग 8,753 एमएमटी तेल और इतनी ही गैस का उत्पादन किया गया है। 2012-13 में अनुमानित कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस उत्पादन लगभग 6.865 एमएमटी है। कम विदेशी उत्पादन का कारण दक्षिणी सूडान और सीरिया में भूराजनैतिक उथल-पुथल है। तेल संबंधी सरकारी क्षेत्र की इकाईयां (पीएसयू) जैसे ओबीएल, इंडिया ऑयल कारपोरेशन (आईओसी), ओआईएल, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसीएल) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एचपीसीएल) तथा गेल ने 20 से ज्यादा देशों में अन्वेषण तथा उत्पादन (इ एंड पी) आस्तियां अधिगृहीत की हैं।

परिष्करण क्षमता

11.26 विद्यमान रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने तथा पारादीप रिफाइनरी के प्रारंभ होने के साथ देश में कुल परिष्करण क्षमता 187.4 एमएमटी (1.4.2011 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर 21. 51 एमएमटी (1.1.2013 की स्थिति के अनुसार) हैं तथा 2012-13 के अंत तक 218.4 एमएमटी तक तथा 2013-14 में 239.6 एमएमटी तक पहुंचने की संभावना है। 2011-12 के दौरान रिफाइनरी उत्पादन (क्रूड थ्रूपुट) 211.4 एमएमटी (रिलाइंस इंडस्ट्री लि. द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के अंतर्गत जामनगर रिफाइनरी सहित) था जो 2010-11 में 206.15 एमएमटी के उत्पादन की तुलना में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर, 2012-13) के दौरान रिफाइनरी उत्पादन (क्रूड थ्रूपुट) 141.45 एमएमटी है। देश अपनी घरेलू खपत के लिए परिष्करण क्षमता में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त मात्रा में निर्यात भी करता है। 2011-12 के दौरान देश ने 2,66,486 करोड़ रुपए की लागत के 60.84 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया है।

पाईपलाइन नेटवर्क तथा शहरी गैस वितरण नेटवर्क

11.27 देश में पाइपलाइन नेटवर्क में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है जिसमें फिलहाल, 11,274 किलोमीटर की लम्बाई तथा 70. 688 एमएमटी क्षमता की 32 उत्पाद पाइपलाइनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2,313 कि.मी. की 3.94 एमएमटी क्षमता वाली एलपीजी पाइपलाइनें तथा 13,428 कि.मी. की 355 एमएमएससीएमडी क्षमता वाली गैस पाइपलाइन भी हैं। 2015-16 तक 264 एमएमएससीएमडी गैस भेजने की अतिरिक्त क्षमता के साथ 14,889 कि.मी. के पाइपलाइन नेटवर्क सहित गैस पाइपलाइन अवसंरचना विस्तारित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 4300 कि.मी. का पाइपलाइन का नेटवर्क पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत किया गया है जो 184 एमएमएससीएमडी गैस भेजने की क्षमता और अधिक बढ़ाएगा।

11.28 देश में गैस की बढ़ी हुई उपलब्धता के साथ, घरेलू उपभोक्ताओं सार्वजनिक परिवहन तथा व्यावसायिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए गैस सप्लाई हेतु विभिन्न शहरों को कवर के लिए शहरी-गैस वितरण का नेटवर्क फैलाया गया है। फिलहाल पूरे देश में 588 सीएनजी स्टेशन हैं। विजन 2015 में देश में 200 और शहरों को पीएनजी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सीजीडी नेटवर्क में गैस की चालू खपत लगभग 14 एमएमएससीएमडी है जिसमें 6.63 एमएमएससीएमडी पुन: जैवीकृत द्रवित प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) से है। फिलहाल बहुत से प्रतिष्ठान 43 भौगोलिक क्षेत्रों में प्रचालनरत हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने इन शहरों में सीजीडी के अधिप्रमाणन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। सीजीडी क्षेत्र में सीएनजी और पीएनजी ग्राहक शामिल हैं। पीएनजीआरबी ने बोर्ड को प्रस्तुत की गई रूचि अभिव्यक्तियों (ईओआई) के आधार पर 300 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी के जरिए शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का विकास करने की योजना की परिकल्पना की है।

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई)

11.29 द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) क्षेत्र के लिए अपनाया गया 'विजन-2015' अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के बढ़ते हुए जनसंख्या कवरेज और उन क्षेत्रों में जहां पर इसका कवरेज निम्नस्तरीय है, पर केन्द्रित है। छोटे साइज की एलपीजी वितरण एजेंसियों के लिए आरजीजीएलवीवाई को 2009 में चलाया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2015 तक 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी करके जनसंख्या के 75 प्रतिशत भाग को कवर करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एलपीजी उपयोग की वृद्धि समान रूप से फैली है, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) आरजीजीएलवीवाई के अंतर्गत चरणबद्ध ढंग से स्थानों का मूल्यांकन/पहचान कर रही हैं। ओएमजी ने 29 राज्यों में 5261 एलपीजी वितरकों की स्थापना के लिए काम प्रारंभ कर दिया है। इसमें से 1 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 1591 एलपीजी वितरक पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। नीति के अनुसार शेष स्थानों के चयन का कार्य चल रहा है।

प्रत्यक्ष नकद अंतरण—एलपीजी योजना

11.30 सब्सिडी वाले उत्पादों जिनसे लीकेज, मिलावट तथा अक्षमता होती है, की सुपुर्दगी की चालू प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने एक कार्य बल गठित किया है ताकि उन

व्यक्तियों/परिवारों को जो मिट्टी के तेल, एलपीजी तथा उर्वरक के हकदार हैं, प्रत्यक्ष सब्सिडी अंतरण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जा सके। मैसूर में एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की गई थी। अभी तक 35,000 ग्राहकों का विवरण एकत्रित किया गया है। इसमें से उपलब्ध तथा अधिप्रमाणित आधार नंबर वाले लगभग 48,000 ग्राहक हैं। 25-11-2012 की स्थिति के अनुसार ओएमसी ने 35,000 से ज्यादा सफल बायोमैट्रिक अधिप्रमाणित सुपुर्दगियां पूरी कर ली हैं। प्रायोजक बैंक तथा आधार भुगतान ब्रिज प्रयोग करने वाले सहभागी बैंकों सहित सब्सिडी भुगतान तौर-तरीके सांकेतिक धनराशि (100/- रु॰) के रूप में निश्चित किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि मैसूर प्रायोगिक परियोजना को बंद कर दिया जाए क्योंकि मैसूर उन 51 जिलों में से है जहां व्यापक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना प्रारंभ की जाएगी।

कोयला

11.31 वर्ष 2011-12 में कोयला उत्पादन 540 एमटी था। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के दौरान कच्चे कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान 359.6 एमटी (जिसमें 33.2 एमटी कोकिंग ग्रेड कोयला शामिल है) की तुलना में 384.1 एमटी होना अनुमानित था (जिसमें 35.3 एमटी कोकिंग ग्रेड कोयला शामिल है)। तथापि, घरेलू उत्पादन अपर्याप्त था तथा वह 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) में 102.85 एमटी के आयात द्वारा पूरा किया जाना था। कोयला ज्यादातर अधिशासित मूल्य के जरिए बेचा जाता है। उसी समय ई-नीलामी प्रणाली के अंतर्गत (जो बाजार आधारित प्रक्रिया के जरिए मूल्य खोज को सक्षम बनाती है) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलीरिज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने क्रमशः 2011-12 में 57.27 एमटी तथा 2.91 एमटी कोयला (स्पॉट एंड फारवर्ड) बेचा। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के दौरान सीआईएल ने औसत मूल्य पर ई-नीलामी के जरिए 33.84 एमटी कोयला बेचा जो अधिसूचित मूल्य से 48.65 प्रतिशत अधिक था। औसत ई-नीलामी मूल्य एससीसीएल के लिए इसकी ई-नीलामी के जरिए 2.61 एमटी कोयले की बिक्री के लिए अधिसूचित मूल्य से लगभग 80 प्रतिशत अधिक था।

11.32 12वीं योजना अवधि के दौरान कोयले की मांग 980 एमटी तक रखी गई थी। जबकि टर्मिनल वर्ष (2016-17) में घरेलू उत्पाद 795 एमटी होने की आशा है। यद्यपि मांग का अंतराल आयातों के जरिए पूरा करने की जरूरत होगी, घरेलू कोयला उत्पादन 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4.6 प्रतिशत की तुलना में 8 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ाने की जरूरत होगी। यह परिकल्पना की गई है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी विशेष रूप से सीआईएल घरेलू कोयला उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रमुख भूमिका निभाना जारी रखेंगी, कैप्टिव अंत प्रयोक्ताओं के लिए नए कोयला ब्लाकों में निवेश सहित निजी क्षेत्र द्वारा निवेश आवश्यक होगा।

11.33 आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कोयले के खनन तथा स्थानांतरण संबंधी लघु अवधि के प्रतिबंधों को दूर करने तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घावधिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित है। तत्काल उपाय के रूप में विद्यमान खानों में 25 प्रतिशत तक एक कालिक उत्पादन क्षमता विस्तार के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार ने विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी किए हैं। कोयला खनन में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अन्वेषण तथा ड्रिलिंग की गति बढ़ाने की जरूरत होगी। कोयला उत्पादन पर जोर देने के अलावा, कोल वाशिंग, कोल बेड मीथेन, भूमिगत कोल गैसीकरण तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के लिए क्षमता बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं। कोयला क्षेत्र में व्यापक निवेश जरूरतों का सकारात्मक पक्ष स्पिन ऑफ प्रभाव है जो अन्य संबद्ध क्षेत्रों पर होगा जैसे उपस्कर विनिर्माण, आपूर्ति रख-रखाव परियोजना अभिकल्प तथा निष्पादन।

परिवहन क्षेत्र

रेलवे

11.34 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में पूर्ण रूप से परिवहन विजन सहित परिवहन क्षेत्र के लिए समेकित पहुंच की परिकल्पना की गई है जिसे माडल मिक्स द्वारा निर्देशित किया जाएगा और जिससे एक दक्ष, सतत, किफायती, सुरक्षित, विश्वसनीय, पर्यावरण अनुकूल तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित परिवहन प्रणाली प्राप्त होगी। योजना के उद्देश्य के अनुरूप, भारतीय रेलवे का उद्देश्य एक कार्य नीति विकसित करके रेल नेटवर्क का निर्माण करता है जो प्रभावी मल्टी मॉडल परिवहन का हिस्सा होगी।

भारतीय रेलवे के माल भाड़े का निष्पादन

11.35 राजकोषीय वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई 969.1 मिलियन मीट्रिक टन थी जबकि 2010-11 में यह 921.7 मिलियन मीट्रिक टन थी और इसमें 5.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 में माल-भाड़े का लक्ष्य 1,025 मिलियन मीट्रिक टन (ब.अ.) निर्धारित किया गया। अप्रैल-नवम्बर, 2012 की अवधि के दौरान, भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गई ढुलाई 618.05 मिलियन मीट्रिक टन के माल भाडे के मुकाबले राजस्व अर्जन माल-भाड़े (4.7 प्रतिशत की वृद्धि) के 647.1 मिलियन मीट्रिक टन की ढुलाई की। माल-भाड़े में हुई कम वृद्धि न केवल अर्थव्यवस्था में समग्र आर्थिक मंदी के कारण हुई बल्कि कर्नाटक में लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने और उर्वरकों के आयातों में कमी जैसे अन्य कारक भी रहे हैं।

रेलवे के माल-भाड़े और यात्री किराए का यौक्तिकीकरण

11.36 जबकि वर्ष 2004-05 और 2010-11 के बीच भारतीय रेलवे की इनपुट कीमतें 10.6 प्रतिशत तक बढ़ गई यात्री किराया अपरिवर्तित रहा अथवा निम्न श्रेणी में कमी की गई, आंतरिक संसाधन सृजन, आस्तियों के प्रतिस्थापन/नवीकरण हेतु अनिवार्य, प्रचालन और रख-रखाव संबंधी क्रियाकलापों और महत्वपूर्ण सुरक्षा और यात्री सुविधा संबंधी कार्यों को देखा जाता है। इसे अतिरिक्त, माल-भाड़े व्यापार के माध्यम से प्रति-सहायता में अन्य परिवहनों में हुई तीव्र प्रतिस्पर्धा के चलते कोई व्यवहार्यता नहीं रही। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे द्वारा 9 जनवरी, 2013 को यात्री किराए में वृद्धि की घोषणा की गई जो 21 और 22 जनवरी, 2013 की मध्य-रात्रि से लागू हो गया। जबकि द्वितीय श्रेणी साधारण (उप-नगर) किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, द्वितीय श्रेणी साधारण (उप-नगर-भिन्न) किराए में 3 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोत्तरी की गई और द्वितीय श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस) किराए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर तक की वृद्धि हुई। शयनकक्ष श्रेणी में वृद्धि 6 पैसे प्रति किलोमीटर हो गई; वातानुकूलित चेयर कार, एसी 3 टियर और एसी प्रथम श्रेणी किराए में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई जबकि प्रथम श्रेणी और ए सी-2 टियर में क्रमश: 3 पैसे और 6 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई। युक्तिसंगत माल-भाड़ा संरचना भी 6 मार्च, 2012 को लागू की गई।

यात्री सुविधाओं का उन्नयन

11.37 आदर्श स्टेशन की योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। आदर्श स्टेशन पेय जल, पर्याप्त शौचालय, खान-पान सेवाएं, प्रतीक्षा हॉल, विशेषकर महिला यात्रियों हेतु शयनागार और बेहतर संकेत आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कुल 976 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में चिन्हित किया गया हैं जिनके मुकाबले अब तक 616 स्टेशनों को विकसित किया गया है। कम्प्युटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) को नवम्बर, 2012 के अंत तक 10172 काउंटरों वाले 5,560 लोकेशनों पर उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान, लगभग 250 स्वचालित टिकट वितरण मशीनें (एटीवीएम) लगायी गईं जिनमें 808 में एटीवीएम लगाए गए। माल ढुलाई प्रचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) सभी मार्गों, ढुलाई/रेक्सों/ट्रेनों और उनके पाइपलाइनों, माल-भाड़ा लोको और समग्र स्तर पर स्टॉक का हिसाब रखती है। माल ढुलाई प्रचालन सूचना प्रणाली की रेक प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को 246 लोकेशनों पर क्रियान्वित किया गया है और यह सभी प्रमुख यार्डों/लॉबियों को कवर करती है और भारतीय रेलवे के विभिन्न मंडलों और क्षेत्रों में कार्यालयों को नियंत्रण में रखती है। **बॉक्स 11.2** में भारतीय रेलवे के समर्पित माल ढुलाई मार्ग परियोजना पहल की चर्चा की गई है।

भारतीय रेलवे द्वारा नई पहलें

- **किसान विजन प्रोजेक्ट :** पीपीपी प्रणाली के माध्यम से शीत भण्डारण और ताप नियंत्रित नष्ट होने वाले कार्गो

बॉक्स 11.2 : समर्पित माल ढुलाई कोरीडोर परियोजना

समर्पित माल ढुलाई मार्ग (डीएफसी) परियोजना पूर्वी एवं पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई मार्ग (डीएससी) एक मेगा परिवहन परियोजना है जिसमें परिवहन क्षमता को बढ़ाने, परिवहन की ईकाई कीमतों को कम करने और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। पूर्वी डीएफसी (1839 किलोमीटर रेल मार्ग) का विस्तार कोलकाता के समीप दन्कुनी से पंजाब के लुधियाना तक है जबकि पश्चिमी डीएफसी (1499 किलोमीटर रेल मार्ग) का विस्तार मुम्बई के जवाहर लाल नेहरु पोर्ट (जेएलन पीटी) से दिल्ली के समीप दादरी/रेवाड़ी तक है। एक विशेष प्रयोजनी साध न-डेडीकेटेड फ्राइट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना परियोजना के क्रियान्वयन के लिए की गई है। 10,703 हेक्टेयर भूमि जो परियोजना हेतु प्राप्त की जानी है इसमें से 7,768 हेक्टेयर (73 प्रतिशत) को रेलवे संशोधन नियम, (आरएए) 2008 के अंतर्गत पहले ही प्रदान कर दिया गया है। पूर्वी एवं पश्चिमी डीएफसी परियोजना द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋणों, सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से वित्तपोषित किए जा रहे हैं। पूर्वी डीएफसी का वित्तपोषण जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) द्वारा कुल लागत का 77 प्रतिशत तक किया जा रहा है। निधियन हो गया है और 900 किलोमीटर का सिविल संविदा का अवार्ड का कार्य चल रहा है। परियोजना निर्माण कीमत का शेष अंश इक्विटी निधियन के रूप में रेलवे मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। पूर्वी डीएफसी के संबंध में, विश्व बैंक द्वारा लुधियाना से मुगलसराय तक (1183 कि.मी.) का वित्त पोषण किया जा रहा है जिसमें परियोजना लागत का 66 प्रतिशत तक का कार्य हो चुका है। प्रथम क्षेत्र अर्थात् खुर्जा-कानपुर सेक्टर (343 कि.मी.) हेतु निधियन हो गया है और सिविल संविदा देने का कार्य चल रहा है। शेष सेक्टरों के लिए विश्व बैंक के साथ जुड़े वित्तपोषण का कार्य भी चल रहा है। मुगलसराय-सोन्नागार सेक्टर (122 कि.मी.) का वित्तपोषण भारतीय रेलवे के वित्त संसाधनों से किया जाएगा। इस सेक्टर के सिविल निर्माण का कार्य प्रगति पर है। पूर्वी डीएफसी के दन्कुनी-सोन्नागार खंड (534 कि.मी.) का क्रियान्वयन पीपीपी प्रणाली से किया जाएगा।

पूर्वी एवं पश्चिमी फ्रेट कारिडोरों के अलावा, चार भावी फ्रेट कोरिडोरों अर्थात् पूर्व-पश्चिम कोरिडोर (कोलकात्ता-मुम्बई), उत्तर-दक्षिण कोरीडोर (दिल्ली-चेन्नई), पूर्वी तट कोरीडोर (खड़गपुर-विजय वाड़ा) और दक्षिणी कारीडोर (गोवा-चेन्नई) पर संभाव्यता अध्ययन भी किए गए हैं। चेन्नई-बंगलोर फ्रेट कोरीडोर की पूर्व-संभाव्यता का अध्ययन किए जाने का भी प्रस्ताव है। पूर्वी एवं पश्चिमी डीएफसी बन जाने के पश्चात्, मौजूदा रेलवे मार्गों पर 160-200 कि.मी. प्रति घंटा से यात्री ट्रेनों की गति को अपग्रेड करने की योजना है। वर्ष 2012-13 में जापान सरकार के सहयोग से मौजूदा दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग पर 160-200 कि.मि. प्रति घंटा से यात्री ट्रेनों की गति के अपग्रेडेशन हेतु संभाव्यता का अध्ययन हो चुका है।

सेक्टर की स्थापना करने, कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, सेन्ट्रल रेल-साइड वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेड सहित संचार-तंत्र आधारित सरकारी क्षेत्र ईकाईयों को सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहन करने के लिए प्रायोगिक परियोजना किसान विजन परियोजना के तहत भारतीय रेलवे की छह लोकेशनों पर अवसंरचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। छह लोकेशनों में, अब तक सिंगुर (पश्चिम बंगाल) और नासिक (महाराष्ट्र के ओझार) का कार्य प्रगति पर है जबकि न्यू जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल), दन्कुनी (पश्चिम बंगाल) और न्यू आजादपुर (आदर्श नगर, दिल्ली) का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

- **उच्च तीव्र वाले यात्री ट्रेन:** भारतीय रेल सुरक्षा, तीव्र, स्वच्छ और आरामदायक यात्री ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए बहु-आयामी कार्यनीति अपना रही है। सात कोरीडोरों की पहचान उच्च तीव्रता वाले ट्रेनों को चलाने के लिए (आमतौर पर बुलेट ट्रेन के रूप में प्रयुक्त) 350 कि.मी. प्रति घंटा उच्च तीव्रता पर पूर्व-संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए की गई है। इन कोरीडोरों की स्थापना पीपीपी मार्ग के माध्यम से की जाएगी। प्रारंभ में, मुम्बई-अहमदाबाद कोरीडोर का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके लिए पूर्व-संभाव्यता का अध्ययन पूरा कर लिया गया है। शेष कोरीडोरों का कार्य प्रगति पर है। 160 कि. मी. प्रति घंटा से 200 कि.मी. प्रति घंटा, जिसे अर्ध उच्च तीव्रता वाली ट्रेन के रूप में जाना जाता है, की यात्री ट्रेनों की तीव्रता को बढ़ाने के लिए दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग का अध्ययन भी किया जा रहा है।
- **रेलवे में एलएचबी कोच का प्रवेशन:** मौजूदा और कतिपय प्रमुख राजधानी और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों सहित ट्रेन सेवाओं में लिंक हॉपमन बुश (एलएचबी) कोचों को लगाया जा रहा है। दिसम्बर, 2012 तक, एलएचबी कोचों का जुड़ाव लगभग 14 राजधानी, 12 शताब्दी और 11 वातानुकूलित दुरन्तों सेवाओं में कर दिया गया है। एलएचवी कोचों में बेहतर वहन क्षमता, बेहतर आरामदेह सवारी, उच्च तीव्र वाली क्षमता, दीर्घ प्रत्याक्षा, स्तरोन्नयन सुविधाएं, नियंत्रित बर्हिस्राव शोचालय प्रणाली का प्रावधान, कमतर अनुरक्षण आवश्यकता, वर्द्धित सुरक्षात्मक विशेषताओं वाला और आंतरिक सौन्दर्य से सुसज्जित है। इस प्रकार के उत्पादन के लिए सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली के अंतर्गत पालककड़ में एक रेल कोच फैक्टरी को स्वीकृति दे दी गई है।
- **बायो-शौचालय की शुरूआत:** अपने यात्रियों और कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की वचनबद्धता के साथ भारतीय रेलवे और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने अपने यात्री कोचों में वातावरण युक्त बायो-शौचालय विकसित किया है। आठ ट्रेनों में 436 बायो-शौचालय लगाए गए हैं। नए कोचों में 2016-17 तक पूर्ण रूप से बायो-शौचालय में परिवर्तित करने की योजना है और भारतीय रेलवे ने तेरहवीं पंचवर्षीय योजना (2021-22) के अंत तक सीधे बर्हिस्राव यात्री कोच शौचालय प्रणाली को समाप्त करने का लाक्ष्य रखा है।

सड़के

11.38 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई का लगभग 24 प्रतिशत एक लेन/मध्यवर्ती लेन का है। लगभग 51 प्रतिशत दो लेन मानक है और शेष 25 प्रतिशत चार लेन मानक या अधिक का है। 2012-13 के दौरान, दिसम्बर, 2012 तक एनएचडीपी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत उपलब्धि लगभग 1605 किलोमीटर है तथा लगभग 878 किलोमीटर की कुल लम्बाई की परियोजनाएं प्रदान की जा चुकी हैं **(सारणी 11.7)**।

एनएचडीपी का वित्तपोषण

11.39 पेट्रोल तथा डीजल पर लगाए गए ईंधन उपकर का एक भाग एनएचडीपी के कार्यान्वयन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को आवंटित किया जाता है। एनएचएआई ऋण बाजार से अतिरिक्त निधियां ऋण पर लेने के लिए उपकर प्रवाह का उपभोग करती है। आज की तिथि तक, ऐसे उधारों को 54 ईसी (पूंजी अभिलाभ कर छूट) बांडों से जुटाई गई निधियों, कर-मुक्त बांडों तथा अल्पावधि ओवर-ड्राफ्ट सुविधा को सीमित कर दिया गया है। सरकार ने एनएचडीपी के अंतर्गत योजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक (1965 मिलियन अमरीकी डालर), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) (1605 मिलियन अमरीकी डालर) तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (32,060 मिलियन येन) का ऋण भी लिया गया है जो एनएचएआई को आंशिक रूप से अनुदान के तौर पर तथा आंशिक रूप से ऋण के तौर पर दिया गया है। पेनोर एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु एनएचएआई ने एडीबी से 149.78 मिलियन अमरीकी डालर का सीधा ऋण भी लिया है **(सारणी 11.8)**। सड़क कार्यक्रमों में तेजी लाने हेतु एनएचएआई द्वारा की गई पहलें **बाक्स 11.3** में दिए गए हैं।

वाम पंथी चरमपंथ (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास

11.40 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश के 34 एलडब्ल्यूई-प्रभावित जिलों में 1,126 कि॰मी॰ राष्ट्रीय राजमार्गों और 4351 कि॰मी॰ राज्य सड़कों (कुल 5477 कि॰मी॰) को 7300 करोड़ रुपए की

सारणी 11.7 : दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार एनएचडीपी परियोजनाएं

क्रम सं.	एनएचडीपी संघटक	कुल लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण 4/6 लेन (कि.मी.)	कार्यान्वयनाधीन		दिए गए सिविल-निर्माण कार्यों का शेष (कि.मी.)
				लम्बाई (कि.मी.)	संविदाओं की संख्या	
1	जी क्यू	5846	5846	0	8	-
2	एनएस-ईडब्ल्यू	7142	6053	722	59	367
3	पत्तन सम्पर्क	380	368	12	3	0
4	अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग	1390	964	406	4	20
5	एसएआरडीपी-एनई	388	49	63	2	276
6	एनएचडीपी चरण-III	12109	4602	5734	90	1773
7	एनएचडीपी चरण-IV	20000	62	4300	31	15638
8	एनएचडीपी चरण-V	6500	1276	2804	28	2420
9	एनएचडीपी चरण-VI	1000	-	-	-	1000
10	एनएचडीपी चरण-VII	700	19	22	2	659
11	राष्ट्रीय राजमार्ग 34	5.5	-	5.5	1	-
	जोड़	**55460.5**	**19239**	**14068.5**	**228**	**22153**

स्रोत : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

टिप्पणियां: जीक्यू: दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज; एनएस-ईडब्ल्यू-उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारा; एसएआरडीपी-एनई-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम

सारणी 11.8 : एनएचएआई की वित्तीय संरचना (₹ करोड़)

वर्ष	उपकर निधि	विदेशी सहायता		सीएफआई में एनएचएआई द्वारा जमा की गई निधियों को वापस लगाना	उधार 54-ईसी बांड	बजटीय सहायता
		अनुदान	ऋण			
2005-06	3269.70	2350.00	600.00		1289.00	802.00
2006-07	6407.45	1582.50	395.50		1500.00	570.67
2007-08	6541.06	1776.00	444.00		305.18	559.00
2008-09	6972.47	1515.00	378.80		1630.74	159.00
2009-10	7404.70	272.00	68.00		1153.63	200.00
2010-11	8440.94	320.00	80.00	1623.00	2160.10	843.00
2011-12	6187.00	-	-	2692.89	12511.52#	1212.21
2012-13*	6003.00			1777.00	1868.85	550.00

स्रोत : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

टिप्पणी: ₹ 10,000 करोड़; की कर-मुक्त बांडों सहित * दिसम्बर, 2012 तक; भारतीय निर्माण संघ।

लागत से दो-लेन में विकसित करने हेतु सरकार ने 26 फरवरी, 2009 को सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) अनुमोदित की है। संबंधित पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उपर्युक्त कार्यक्रम की स्वीकृति और क्रियान्वयन हेतु मुख्य इंजीनियर की अध्यक्षता में देश के एलडब्ल्यूई-प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास का कार्य एमओआरटीएच को सौंपा गया है। 7699 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 5419 कि॰मी॰ लम्बाई हेतु विस्तृत अनुमान को स्वीकृति दे दी गई है और 6853 करोड़ रुपए की लागत वाले 5049 कि॰मी॰ पर कार्य प्रदान किया गया है। दिसम्बर, 2012 तक 1960 कि॰मी॰ का कार्य पूरा कर लिया गया है जिसमें अब तक 2494 करोड़ का संचयी व्यय वहन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क के निर्माण का कार्य मार्च, 2015 तक पूरा किया जाना तय है। आरआरपी 11 में सरकार के विचाराधीन 9,400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 5624 कि॰मी॰ लम्बाई कवर की जाएगी।

बॉक्स 11.3 : एनएचडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बोर्ड ने कोर्ट में लम्बित पुराने प्रकरणों के एक बारगी निपटान हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ निपटान परामर्शी समिति के गठन को अनुमोदित किया है। इस दावे का समाधान एक बारगी निपटान के रूप में कर लिया जाएगा और यह कार्यनीति संविदाओं द्वारा जनसाधारण को जारी किए जाने के आधार पर होगा अथवा गुणों, जोखिमों और निपटानों के मूल्यांकन के माध्यम से और वार्ताओं के माध्यम से सामूहिक रूप से प्रमुख स्टेकों के साथ बनी कंपनियों अथवा समूहों के साथ इष्टतम निपटान के आधार पर भिन्न होगा।
- राजमार्ग विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पहल के रूप में अभियांत्रिकी अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) संविदाओं की प्रणाली अपनाई जा रही हैं। बीओटी (टॉल) प्रणाली के अंतर्गत उन परियोजनाओं जो व्यवहार्य नहीं हैं, ऐसे उन दूर-दराज क्षेत्रों में ईपीसी प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सकेगा। इस क्षेत्र में आर्थिक मंदी से जुझने के लिए मंत्रालय ने 100% सरकारी निधियन के अंतर्गत उन मामलों में जहां बीओटी (टॉल) प्रणाली के तहत कोई ग्रहीता उपलब्ध नहीं है, नए संशोधित ट्रंकी ईपीसी के तहत परियोजनाओं को प्रदान करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है। सुपुर्दगी की प्रणाली कीमत और समय के अत्यधिक बढ़ने का अनुवीक्षण भी करेगी।
- अड़चनों को दूर करने और यातायात सुप्रवाह चलाना यह सुनिश्चित करने और अधिसूचित दरों के अनुसार टॉल के संग्रहण हेतु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टॉल संग्रहण पर आधारित सक्रिय रेडियो बारंबारता पहचान प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
- 5 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रों के लिए अनिवार्य पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) की शर्तों में छूट प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पृथ्वी/भूमि के लिए पर्यावरण स्वीकृत हेतु दबाव न डालने का अनुरोध किया है क्योंकि परियोजना हेतु आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही सभी राजमार्ग परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी जिससे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए शर्तों को लागू किया जा सके और रिकायतग्रहियों द्वारा पालन किया जा सके।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में प्रचालन, रख-रखाव और अंतरण (ओएमटी) रियायत के तहत निजी क्षेत्र के प्लेयरों को चुनिंदा राजमार्ग परियोजनाएं दी हैं। आज की तारीख तक टॉल संग्रहण के कार्यों और राजमार्ग के रख-रखाव के लिए क्रमशः टॉलिंग एजेंट/ऑपरेटरों और उपसंविदाकारों को सौंपा गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजनाओं के लिए पूर्व निर्माण कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए सदस्य-सचिव के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी सहित अपने मुख्य सचिवों (नोडल अधिकारियों के रूप में) की अध्यक्षता में राज्य सरकारों को उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का अनुरोध किया गया है। अधिकांश राज्यों ने समितियों का गठन कर लिया है।

सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिदेशित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और इस परियोजनाओं के पूर्व निर्माण में तेजी हेतु राज्य सरकारों के साथ बेहतर और नजदीकी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि देश में विभिन्न लोकेशनों पर सीजीएम द्वारा गठित 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करें। तीव्र प्रक्रिया करने/अनुमोदन देने को सुसाध्य बनाने, भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना (पीएमआरपी)

11.41 प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर पुनर्निर्माण योजना (पीएमआरपी) की घोषणा राज्य के अपने 17 व 18 नवम्बर, 2004 के दौरे के दौरान की। योजना में लगभग 3300 करोड़ रुपए के सात निर्माण कार्य नामतः मुगल रोड का निर्माण, डोमल-कटरा सड़क को चौड़ा करना (एनएच1सी), बटोटे-किश्तवार-सिन्थनपास-अनन्तनाग रोड (एनएच 1बी) को दो-लेन का बनाना, श्रीनगर-उड़ी मार्ग (एनएच1ए) का उन्नयन, खानाबल-पहलगाम सड़क का निर्माण, नरबल-तंगमार्ग सड़क का निर्माण तथा श्रीनगर-कारगिल-लेह सड़क (एनएच 1डी) को दो लेन का बनाना शामिल थे। पीएमआरपी पर लगभग 2708 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, बीआरओ के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों हेतु 178.6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य और अन्य जिला सड़कों (ओडीआर) संबंधी केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु 113.58 करोड़ रुपए भी आबंटित किए गए।

नागर विमानन

हवाई यात्री तथा सामान की ढुलाई

11.42 भारतीय हवाई अड्डों पर जनवरी-नवम्बर, 2012 के दौरान, घरेलू यात्री परिवहन 106 मिलियन के स्तर पर पहुंच गया। यह 2011 के दौरान इसी अवधि में 108 मिलियन के घरेलू यात्री परिवहन प्रवाह से थोड़ा सा कम रहा। पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान हुए 36.20 मिलियन के मुकाबले जनवरी-नवम्बर 2012 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर अन्तर राष्ट्रीय यात्री परिवहन 37.8 मिलियन पर पहुंच गया। गत वर्ष के दौरान हुए 1.37 मिलियन मीट्रिक टन के मुकाबले जनवरी-नवम्बर 2012 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय सामान धराई-उठाई 1.30 प्रतिशत हो गई। जनवरी-नवम्बर 2012 की अवधि के दौरान घरेलू सामान धराई-उठाई 0.73 मिलियन मिट्रिक टन रही जो कि पिछले वर्ष के लगभग बराबर रही।

एयर इंडिया

11.43 भारत सरकार ने अप्रैल, 2012 में एयर इंडिया के प्रचालन और वित्तीय निष्पादन को बढ़ाने के लिए एटीपी और एयर

इंडिया की वित्तीय संरचना योजना (एफआरपी) का अनुमोदन किया है। इस कम्पनी ने वर्ष 2011-12 के दौरान कीमत के घटाने और राजस्व वृद्धि हेतु कई पहल की हैं जिसमें मार्ग को युक्तिसंगत बनाने, पुरानी उड़ान की स्थिति तैयार करने और जमीन तैयार करने, गैर प्रचालनात्मक क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षित रखने एमआरओ (रख-रखाव, मरम्मत एवं जांच) को बढ़ाने के लिए कम्पनी की आस्तियों की क्षमता बढ़ाना राजस्व और कम्पनी के स्थावर सम्पदाओं से प्राप्त राजस्व को शामिल करता है। टीएपी में ग्राउंड हैंडलिंग और एमआरओ में सहायक कम्पनियों का प्रचालन और मानवशक्ति का अंतरण और उपकरण भी शामिल हैं ताकि इन्हें स्वतंत्र लाभ केन्द्रों के रूप में माना जा सके। टीएपी में निर्धारित माइलस्टोन की तुलना में एयर इंडिया के निष्पादन का सूक्ष्म रूप से मॉनीटर करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया। वर्ष के उत्तरार्द्ध के दौरान, निष्पादन को टीएपी में निर्धारित लक्ष्य के साथ रखा गया है। एयर इंडिया ने 85 प्रतिशत पर समय निष्पादन 70.9 प्रतिशत पर यात्री भार कारक, 4.31 रु॰ प्रति राजस्व यात्री लाभ किलोमीटर आदि जैसा पूर्ण वर्धित निष्पादन दर्ज किया गया। कम्पनी से आशा है कि वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान यह सकारात्मक ईबीआईडीटीए प्राप्त कर लेगा।

विमान पत्तन अवसंरचना

11.44 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) एक प्रमुख विमानपत्तन संचालक है जो पूरे देश में 125 विमानपत्तनों का प्रबंध न करता है और भारत में विमान परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने का सरकारी कार्य को भी सौंपा गया है। भारत में विमानपत्तन अवसंरचना बढ़ाने के लिए मेट्रो और गैर-मेट्रो शहरों में मौजूदा विमानपत्तन अवसंरचना का आधुनिकीकरण और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान भारतीय विमानपत्तनों पर 65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया जिसमें लगभग 50,000 करोड़ का योगदान निजी क्षेत्र से आने की उम्मीद की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोलकाता और चेन्नई विमानपत्तन पर क्रमशः 2325 करोड़ रुपए और 2,015 करोड़ रुपए की लागत पर दो मेट्रो विमानपत्तनों का विस्तार और अपग्रेडेशन पूरा कर लिया है। इसके अलावा, दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों के पुर्नअवसंरचना और आधुनिकीकरण पर आधुनिक सुविधाओं वाले लगभग 25,000 करोड़ रुपए की कीमत पर लगाया गया है। बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि॰ (बीआईएएल) का विस्तार 1,479 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है।

11.45 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 35 चुनिंदा गैर-मेट्रो विमानपत्तनों का निर्माण कार्य किया गया है जिसकी पहचान क्षेत्रीय संयोजकता, क्षेत्रीय केन्द्रों का विकास, प्रमुख पर्यटन स्थलों और व्यवसाय केंद्र के रूप में निर्माण हेतु की गई है। 28 विमानपत्तनों पर परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

पत्तन

11.46 **भारतीय पत्तनों पर माल की धराई-उठाई:** वर्ष 2012-13 के पूर्वार्ध (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान भारत के प्रमुख तथा गैर-प्रमुख पत्तनों ने कुल 455.8 मिलियन टन माल की ध राई-उठाई की। यह पिछले वर्ष की उसी अवधि से केवल 1.8 प्रतिशत अधिक रही। इसमें मुख्यतया प्रमुख पत्तनों में माल की ध राई-उठाई में 3.3 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसके विपरीत, 2011-12 की इसी अवधि के दौरान 8.2 प्रतिशत के मुकाबले 2012-13 के पूवार्ध में गैर-प्रमुख पत्तनों में 10.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई (सारणी 11.9)। 2012-13 के प्रथम छह महिनों के दौरान परिवहन (22.5%) में ऐन्नोर पत्तन पर उच्च वृद्धि दर्ज की गई जिसके बाद मुम्बई (8.0%), काण्डला (7.5%), एनएमपीटी (4.3%) और कोचीन पत्तन (3.9%) आते हैं। नकारात्मक परिवहन

सारणी 11.9 : भारतीय पत्तनों पर संचालित माल ढुलाई (हजार टन)

प्रमुख/प्रमुख-भिन्न पत्तन	संचालित माल ढुलाई				पूर्व/पूर्व अवधियां में हुई वृद्धि			
	2010-11	2011-12	अप्रैल-सितम्बर		2010-11	2011-12	अप्रैल-सितम्बर	
			2011-12	2012-13			2011-12 (अ)	2012-13
प्रमुख पत्तन	570086	560134	279880	270561	1.6	-1.7	3.2	-3.3
	(64.4)	(61.4)	(62.5)	(59.4)				
प्रमुख-भिन्न पत्तन	315358	351545	167969	185206	9.1	11.5	8..2	10.3
	(35.6)	(38.6)	(37.5)	(40.6)				
सभी पत्तन	885444	911679	447849	455767	4.2	3.0	5.0	1.8
	(100)	(100)	(100)	(100)				

स्रोत : भारतीय पत्तन संघ

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े क्रमशः प्रमुख और प्रमुख-भिन्न पत्तनों के लिए कुल माल में प्रतिशत शेयर दर्शाते हैं। अ : अनंतिम

धराई-उठाई मोर्मुगांव (-22.9%), हाल्दिया डॉक कम्पलेक्स (एचडीसी) (-17.9%), विशाखापत्तनम (-16.0%), पारादीप (-8.5%), चेन्नई पत्तन (-7.3%) और कोलकाता डॉक सिस्टम (केडीएस) (-7.8%) दर्ज की गई।

11.47 **प्रमुख पत्तनों पर सामग्रीवार माल की ढुलाई:** व्यापक सामग्रीगत स्तर पर 2012-13 के पहले छह माह के दौरान कोयला, कन्टेनरकारगो, अन्य कार्गो तथा पी.ओ.एल. ट्रैफिक पोर्टेड विकास क्रमश: 3.8, 2.7, 2.4 तथा 0.5 प्रतिशत रहा। अप्रैल-सितम्बर, 2012 के दौरान लौह अयस्क यातायात में 43.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसका कारण लौह अयस्क के खनन में लगा हुआ प्रतिबंध था। अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान भी उर्वरक तथा एफआरएम के संबंध में विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में कार्गो ट्रैफिक में 5.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान मुख्य पत्तनों पर निष्पादित कार्गो यातायात की संरचना के संदर्भ में सबसे बड़ा सामग्री समूह (कुल निष्पादित कार्गो में प्रतिशत भाग के रूप में) पीओएल (34%) था। इसके बाद कन्टेनर यातायात (22%) है। अन्य कार्गो (19%) तथा कोयला (15%) है। अप्रैल-सितम्बर 2012 के दौरान मुख्य पत्तनों पर कुल कन्टेनर कारगो टनभार तथा बीस फुटी समकक्ष इकाइयों, दोनों ही संदर्भों में क्रमश: 2.7 तथा 1.3 प्रतिशत बढ़ा है जिसमें प्रमुख पत्तन होने के नाते जवाहर लाल नेहरु पत्तन की भागीदारी टनभार 48 प्रतिशत तथा टीईयूज़ के संदर्भों में 55 प्रतिशत रही है।

दूरसंचार

11.48 हालिया वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र रहा है। सिर्फ चीन के बाद अब यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क है। सरकार द्वारा उपायों की एक श्रंखला अपनाई गई है। वायरलेस प्रौद्योगिकी तथा निजी क्षेत्र के सक्रिय सहयोग ने देश में दूरसंचार क्षेत्र के चरघातांकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। टेली घनत्व, जो प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोनों की संख्या को दर्शाता है, अक्तूबर 2012 के अंत में 76.75 हो गया था। आसान पहुंच और वहनीयता के चलते मोबाइल फोनों की वृद्धि के कारण, लैण्डलाइन फोनों की संख्या जोकि अप्रैल-अक्तूबर 2011 में 32.17 मिलियन थी गिरकर अक्तूबर 2012 में 30.95 मिलियन रह गई है। सभी टेलीफोनों में वायरलेस फोनों की भागीदारी अब 96.7 प्रतिशत हो गई है। ग्राहक संख्या के संदर्भ में देखें तो इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अप्रैल-जून 2012 के दौरान 86.3 प्रतिशत से बढ़कर 86.6 प्रतिशत हो गई है, और मौजूदा तौर पर अक्तूबर 2012 के अंत तक यह 86.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है। (सारणी 11.10)। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 की मुख्य विशेषताएं बॉक्स 11.4 में दी गई हैं।

11.49 चूंकि 2004 में ब्रॉडबैण्ड नीति, 2004 की घोषणा में देश में ब्रॉडबैण्ड के विस्तार संबंधी कई उपाय किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2012 के अंत तक देश में इन्टरनेट के ग्राहक 22.86 मिलियन थे जिसमें से 13.79 मिलियन ब्रॉडबैण्ड के ग्राहक थे। अक्तूबर 2012 के अंत तक ब्रॉडबैण्ड का इस्तेमाल करने वालों

सारणी 11.10 : टेलीफोन संयोजकता और टेली-गहनता

	मार्च के अंत में (मिलियन में)			31 अक्तूबर,
	2010	2011	2012	2012 के अनुसार
कुल टेलीफोन	621.28	846.33	951.35	935.18
लैंडलाईन टेलीफोन	36.96	34.73	32.17	30.95
वायरलेस टेलीफोन	584.32	811.60	919.17	904.23
ग्रामीण टेलीफोन	200.77	282.29	330.83	344.49
शहरी टेलीफोन	420.51	564.04	620.52	590.68
निजी क्षेत्र (शेयर %)	515.41	720.32	821.08	805.21
	(82.96%)	**(85.11%)**	**(86.31%)**	**(86.10%)**
सरकारी क्षेत्र (शेयर %)	105.87	126.01	130.27	129.97
	(17.04%)	**(14.89%)**	**(13.69%)**	**(13.90%)**
ग्रामीण टेलीफोन गहनता % में	24.31	33.83	39.26	40.66
शहरी टेलीफोन गहनता % में	119.45	156.93	169.17	159.15
कुल टेलीफोन गहनता % में	**52.74**	**70.89**	**78.66**	**76.75**

स्रोत : टेलीकाम विभाग

बॉक्स 11.4 : राष्ट्रीय दूर संचार नीति (एन टी पी)-2012

सरकार ने 31 मई 2012 को एक राष्ट्रीय दूर संचार नीति अनुमोदित की है जिसमें दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े विविध मध्यम आवधिक, दीर्घ आवधिक तथा कार्यनीतिपरक निर्णयों तथा दृष्टिकोणों का समाधान किया गया है। एन टी पी-2012 का लक्ष्य पूरे देश में वहनीय, विश्वसनीय तथा सर्वसुलभ दूरसंचार तथा ब्रॉडबैण्ड सेवाओं की उपलब्धता कर अधिकतम लोक कल्याण करना है। एनटीपी 2012 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नवत शामिल हैं:-

- सभी नागरिकों के सुरक्षित सुलभ और उच्चस्तरीय दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराना।
- एक राष्ट्र-एक लाइसेंस की अवधारणा को सभी सेवाओं तथा सेवा क्षेत्रों के लिए लागू करना।
- एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नम्बर परिवर्तनीयता और एक राष्ट्र में मोबाइल के सभी कार्यों को रोमिंग फ्री करना।
- दूरसंचार को महत्व देने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी प्राथमिक आवश्यकता के रूप में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी मुहैया करना और ''ब्रॉडबैण्ड का अधिकार'' दिशा में कार्य करना।
- 2017 तक ग्रामीण टेली-घनत्व को वर्तमान के स्तर 39 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करना तथा 2020 तक इस स्तर को शतप्रतिशत करना।
- 2015 तक मांग-आधारित सुलभ और विश्वसनीय ब्रॉडबैण्ड मुहैया कराना और 2017 तक 175 मिलियन ब्रॉडबैण्ड कनेक्शनों का लक्ष्य हासिल करना और 2020 तक न्यूनतम 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड के 600 मिलियन कनेक्शन उपलब्धन कराना और मांग पर न्यूनतम 100 एमबीपीएस की उच्चतर गति पर ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन उपलब्ध कराना।
- 2014 तक प्रौद्योगिकी के सफल संयोजन से सभी ग्राम पंचायतों तक तीव्रतम और उच्चस्तरीय ब्रॉडबैण्ड उपलब्धता सुनिश्चित कराना और 2020 तक उत्तरोत्तर रूप से इसे देश के सभी गांवों तक पहुंचाना।
- विकास के लिए आईसीटी के वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए दूरसंचार को अवसंरचना क्षेत्र के रूप में मान्यता देना।
- दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए राइट ऑफ वे (आर ओ डब्ल्यू) को निराकरण करना।
- अ-विशिष्ट और भेदभाव रहित पहुंच मुहैया कराने के लिए विविध नेटवर्कों के इन्टरकनेक्शनों के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण प्रणाली को अनिवार्य बनाना।
- दूरसंचार में हरित नीतियों को अपनाया जाना जारी रखना तथा उन्हें और भी बढ़ाना तथा वहनीयता के लिए नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- 2020 तक देश में चरणबद्ध तथा समयनिष्ठ तरीके से नई इन्टरनेट प्रोटोकॉल (आई पी वी-6) का सब्स्टेशियल ट्रांजीशन प्राप्त करना और आई पी प्लेटफार्म पर सेवाओं की प्रचुर प्राप्ति की प्रक्रिया में पर्यावरण पद्धतियों को भी बढ़ावा देना।

की संख्या बढ़कर 14.81 मिलियन हो गई। ब्रॉडवैण्ड के विस्तार तथा व्यापक के लिए खासकर ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड के विस्तार के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) जो विविध अनुप्रयोगों यथा ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, तथा ई-प्रशासन आदि के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन मुहैया कराएगा। इस परियोजना का वित्तपोषण यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फण्ड (यूएसओएफ) द्वारा किया जा रहा है।

यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फण्ड (यूएसओएफ)

11.50 ग्रामीण टेलीफोनों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष यूएसओएफ नाम से एक कोष तैयार किया है। शेयर्ड मोबाइल अवसंरचना स्कीम के तहत नवम्बर, 2012 के अंत तक 7310 (99.42 प्रतिशत) टावर स्थापित किए जाने हैं और मोबाइल सेवाओं के प्रेषण के लिए इन टावरों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा बेस ट्रांससीवर शुरू किए गए हैं। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटीज़) की एक अन्य स्कीम के अंतर्गत नवम्बर, 2012 के अंत तक वीपीटीज़ द्वारा कुल 5,81,572 गांवों (97.97 प्रतिशत) को कवर किए जा चुके थे। मार्च 2013 तक शेष आवासीय राजस्व गांवों को भी वीपीटीज़ मुहैया कराए जाने की संभावना है। यह कार्य 2001 की जनसंख्या के अनुसार कवर न किए गए नए अभिज्ञात गांवों में वीपीटीज़ प्रावधान के लिए जारी यूएसओएफ स्कीम के जरिए किया जाना है।

11.51 ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए यूएसओएफ ने मौजूदा एक्सचेंज अवसंरचना तथा तांबा तार युक्त नेटवर्क को और बढ़ाते हुए ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी (हमेशा जारी कम से कम 512 केबीपीएस की गति सहित) उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण वायर लाइन ब्रॉडबैण्ड स्कीम के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ 20 जनवरी 2009 को एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। 31.08.2012 की स्थिति के अनुसार कुल 3,91,245 ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन मुहैया कराए जा चुके हैं तथा ग्रामीण व सुदूर इलाकों में 10,076 खोखे (कियोस्क) स्थापित किए जा चुके हैं।

शहरी अवसंरचना

शहरी अवसंरचना और अभिशासन

11.52 जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सात वर्ष की अवधि के लिए (मार्च 2012 तक) चरणबद्ध ढंग से विद्यमान जनसेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए कदम उठाने हेतु शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। सरकार ने 2 वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक मिशन अवधि के मौजूदा

कार्यकाल को बढ़ा दिया है। उप-मिशन शहरी अवसंरचना तथा अभिशासन (यूआईजी) के अंतर्गत घटकों में शहरी नवीकरण, जलापूर्ति (विलवणीय पौधों सहित), स्वच्छता, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन, विरासत क्षेत्रों का विकास और जल निकायों का संरक्षण शामिल है। मिशन अवधि में यूआईजी के लिए संशोधित आवंटन 31,500 करोड़ रुपये है। वर्ष 2012-13 के लिए 6,340 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) की राशि की व्यवस्था की गई है। जेएनएनयूआरएम ने शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने के लिए गरीबों के हित में निम्नलिखित तीन अनिवार्य सुधारों के क्रियान्वयन पर भी बल दिया है:

- शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं हेतु स्थानीय निकाय के बजटों में आंतरिक अलग व्यवस्था।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह की श्रेणी के लिए सभी आवास परियोजनाओं (सरकारी और निजी एजेंसियां) में विकसित भूमि का कम से कम 20-5 प्रतिशत अलग रखना।
- सात मदों वाले चार्टर का कार्यान्वयन: सात बुनियादी हकों/सेवाओं की व्यवस्था करना।

11.53 जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत चयनित सभी 65 शहरों ने व्यापक शहर विकास योजनाएं (सीडीपी) तैयार की हैं, जिनमें शहरी अभिशासन और विकास में अपनी दीर्घावधिक दृष्टि और लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन योजनाओं में निवेश योजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें शहरव्यापी अवसंरचना सेवाओं जैसे जलापूर्ति, स्वच्छता, ड्रैनेज के प्रावधान तथा शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। मिशन अवधि के दौरान उन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिनमें नामत: जलापूर्ति, स्वच्छता और तूफानी जल निकासी द्वारा आम आदमी और शहरी गरीबों को सीधे लाभ हो। दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 31,500 करोड़ रुपये के सात वर्षीय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटन के 91 प्रतिशत से अधिक की वचनबद्धता की गई है।

11.54 सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूचीबद्ध 65 मिशन शहरों के लिए कुल 61,772.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 551 परियोजनाएं (31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार) स्वीकृत की गई हैं। दूसरे प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत बसों के लिए सहायता सहित इन परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 30,689.7 करोड़ रुपए है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार 20,145.2 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की गई है। अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 1326.7 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

11.55 जेएनएनयूआरएम ने क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया के जरिए मिशन ने शहरी स्थानीय निकाय के वित्तपोषण और ऋण लेने की योग्यता के मूल्यांकन हेतु एक अभियान शुरू किया है। यह जेएएनयूआरएम परियोजनाओं के लिए ऋण लेवरेज करने की प्रक्रिया शुरू करने और उन शहरी स्थानीय निकायों और वित्तीय संस्थाओं के लिए आशयित है जो परियोजनाओं के वित्तपोषण संबंधा मुद्दों से जुड़ी है। वर्तमान में मिशन शहरों में 65 शहरी स्थानीय निकायों को अंतिम रेटिंग दे दी है और उन्हें सार्वजनिक कर दिया है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में रेटिंग की पुष्टि करने और शुरू किए गए सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी रेटिंग शुरू की गई हैं। अब तक 62 शहरी स्थानीय निकायों की निगरानी रेटिंग हो चुकी है।

छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)

11.56 यूआईडीएसएसएमटी 65 मिशन शहरों के अलावा सभी शहरों और कस्बों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए जेएनएनयूआरएम का उप-घटक है। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए, राज्यों और यूएलबी को सुधारों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। दिसम्बर, 2005 में इसके प्रारंभ से दिसम्बर, 2012 तक यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 672 कस्बों तथा शहरों में 11,358.3 करोड़ रुपए की लागत की 807 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध एसीए 9465.2 करोड़ रुपये है जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर, 2011 तक 2012.305 परियोजनाएं पूरा किए जाने की सूचना है।

शहरी परिवहन

11.57 शहरी परिवहन शहरी अवसंरचना का एक मूल तत्व है। बेहतर परिवहन उपलब्ध कराने के लिए 2373.4 करोड़ रुपए के अनुमेय केंद्रीय वित्तीय सहायता वाले 5211.6 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 467.4 कि.मी. की कुल लम्बाई को कवर करते हुए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, जयपुर, पुणे, पिपरी चिंचवाड, राजकोट, सूरत, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम तथा कोलकाता शहरों के लिए बस रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (बीआरटीएस) अनुमोदित की गई थी। इसके अलावा, विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण से नया रायपुर और हुबली धारवाड़ में बीआरटीसी बनाने की भी योजना है। 4,724 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 15,260 बसों की खरीद इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित की गई जिसमें से एसीए अनुमेय 2,092.1 करोड़ रुपए है। नवम्बर, 2012 तक 12,620 से अधिक आधुनिक विवेकी परिवहन प्रणाली (आईटीएस), लो फ्लोर तथा सेमी लो फ्लोर बसें राज्यों/शहरों को प्रदान की गई।

मेट्रो रेल परियोजनाएं

11.58 मेट्रो मोनो रेल परियोजनाओं को उचित वैधानिक कवर प्रदान करने के लिए, मैट्रो रेलवे संशोधन अधिनियम, 2009 में लागू किया गया था जो भारत के सभी महानगरों में मेट्रो रेल कार्य हेतु 'अम्ब्रैला-वैधानिक' सुरक्षा कवर प्रदान करता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, बंगलुरू, मुम्बई, हैदराबाद, कोची, और जयपुर महानगर क्षेत्रों में लागू किया गया है। 42.3 कि.मी. लम्बाई वाले बंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना को दिसम्बर, 2013 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 7 कि.मी. का पहला चरण 20 अक्तूबर, 2011 को पहले ही चालू कर दिया गया है। सरकार ने कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कोलकाता में 14.67 कि.मी. लम्बाई की पूर्वी-पश्चिम मेट्रो कारीडोर के क्रियान्वयन को पहले ही अनुमोदित किया था। इस परियोजना को 31 जनवरी, 2015 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। चेन्नई मैट्रो रेल लि. (सीएमआरएल) द्वारा 14,600 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के रूप में 46.5 कि.मी. लम्बी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना अनुमोदित की गई जिन्हें 31 मार्च, 2015 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। हाल ही में, 35,242 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 103.5 कि.मी. का दिल्ली मेट्रो के चरण III को अनुमोदित की गई है और जिन्हें 2016 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस मेट्रो का फरीदाबाद तक का विस्तार को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस वर्ष दिल्ली मेट्रो चरण III के भाग के रूप में द्वारका से नजफगढ (5 कि.मी.), यमुना विहार से शिव विहार (2.7 कि.मी.) तथा मुंडका से बहादुरगढ़ (11.50 कि.मी.) तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार करने की भी मंजूरी दे दी है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) द्वारा 5181.8 करोड़ रुपए की समापन लागत से 25.6 कि.मी. की कोची मेट्रो रेल परियोजना भी अनुमोदित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, मुम्बई में वेरसोबा-अंधेरी-घटकोपार (11.07 कि.मी.) तथा चारकोप से मानखुर्द वाया बांद्रा (31.87 कि.मी.) के लिए मेट्रो रेल परियोजनाएं पीपीपी आधार पर तथा हैदराबाद में (71.6 कि.मी.) भारत सरकार से अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वीजीएफ) द्वारा प्रारंभ की गई हैं। फिलहाल, राजस्थान सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार के वित्तपोषण से 7 कि.मी. की मेट्रो रेल का कार्यान्वयन कर रही है।

अवसंरचना क्षेत्र में ऋणप्रवाह का वर्तमान रूख

11.59 उन अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए जो विशेष रूप से लम्बी अवधि की होती हैं; दीर्घावधिक वित्तपोषण हेतु 2006 में भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की गई थी। आईआईएफसीएल परियोजना कंपनियों को प्रत्यक्ष उधार देकर तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पुन: वित्तपोषण करके, दोनों के द्वारा परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आईआईएफसीएल सरकारी गारंटियों की संख्या पर घरेलू तथा विदेशी दोनों बाजारों से धन एकत्रित करती है। इसमें 229 परियोजनाओं के लिए कुल 40,373 करोड़ रु. का ऋण स्वीकृत किया है जिसमें से 31 मार्च, 2012 तक 3,52,047 करोड़ रु. का कुल निवेश किया गया तथा 20,377 करोड़ रु. संवितरित किए गए। आईआईएफसीएल से आशा है कि वह अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए 12वीं योजना में अपने सामान्य उधारदाता की विद्यमान भूमिका से अतिरिक्त संसाधन जुटाने वाले उत्प्रेरक तक बढ़ेगी। यह आईआईएफसीएल द्वारा अपनी प्रत्यक्ष उधार देने की संक्रियाओं का विस्तार करने के

सारणी 11.11 : ऋण की क्षेत्रीय विभाग तथा वृद्धि दर: अवसंरचना (₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13		
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
अवसंरचना	4640.08	5745.35	5477.70	5581.83	5832.68	6089.19	6218.46	6431.96	6799.16
विद्युत	2317.28	3031.76	2864.55	2965.78	3080.25	3216.48	3263.97	3536.92	3745.00
दूरसंचार	898.51	930.43	973.58	903.76	918.46	925.93	966.70	894.66	917.66
सड़क	818.37	1048.02	976.03	1023.90	1068.86	1123.29	1142.40	1204.62	1262.44
अन्य अवसंरचना	605.92	735.13	663.53	688.39	765.10	823.50	845.39	795.75	874.06
हिस्सा									
अवसंरचना	49.94	52.77	52.29	53.13	52.81	52.82	52.49	54.99	55.08
विद्युत	19.36	16.19	17.77	16.19	15.75	15.21	15.55	13.91	13.50
दूरसंचार	17.64	18.24	17.82	18.34	18.33	18.45	18.37	18.73	18.57
सड़क	13.06	12.80	12.11	12.33	13.12	13.52	13.59	12.37	12.86
वृद्धि दर अवसंरचना									
अवसंरचना	44.60	23.82	35.61	22.19	20.72	18.90	13.52	15.23	16.57
विद्युत	48.19	30.83	41.44	34.15	27.06	23.30	13.94	19.26	21.58
दूरसंचार	76.57	3.55	41.01	-5.55	-4.84	-5.67	-0.71	-1.01	-0.09
सड़क	33.27	28.06	29.42	29.26	28.99	25.00	17.04	17.65	18.11
अन्य अवसंरचना	16.05	21.32	16.50	13.17	24.69	30.25	27.41	15.60	14.24

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बजाय निजी अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी किए गए बांडों को गारंटी प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। यह बीमा तथा पेंशन निधियों, विदेशी ऋण तथा परिवारिक बचतों के जुटाने में सक्षम बनाएगा। आईआईएफसीएल गौण ऋण को वित्त के अतिरिक्त स्रोत के रूप में उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, यह अवसंरचना ऋण निधि के साथ अपनी अगली वित्तपोषण योजना को भी प्रतिस्थापित कर सकती है।

11.60 मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों में बैंक ऋण को सकल रूप से लगाने से संबंधित नवीनतम उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि बैंक ऋण की वृद्धि दर चालू वर्ष की तीसरी तिमाही में 16.57 प्रतिशत तक आंशिक रूप से सुधरने से पहले 2011-12 की पहली तिमाही में 35.61 प्रतिशत के औसत से 2012-13 की पहली तिमाही में 13.52 प्रतिशत तक कम हो गयी। अवसंरचना के अंतर्गत, अवसंरचना में कुल ऋण प्रवाह में विद्युत का 50 प्रतिशत हिस्सा था। इस क्षेत्र में वृद्धि दर 2012-13 की पहली तिमाही में 13.94 प्रतिशत तक कम होने के बाद तीसरी तिमाही में 21.58 तक प्रतिशत तक बढ़ी है। दूरसंचार क्षेत्र में पिछली छः तिमाहियों में लगातार गिरावट दर्शायी है। (सारणी 11.11)

11.61 चालू वर्ष के दौरान लगातर जारी वैश्विक जोखिमों तथा संयत व्यवसाय भावना ने प्रमुख अवसंरचना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहो को प्रभावित किया है। अप्रैल-नवम्बर, 2012 के दौरान मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों में कुल एफडीआई अंतर्वाह काफी कम हो गया है और 97.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। मुख्य गिरावट विद्युत क्षेत्र (-68 प्रतिशत), पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (-89 प्रतिशत) तथा दूरसंचार (-96 प्रतिशत) में हुई है। (सारणी 11.12) विनियामक अनिश्चितताएं कम वृद्धि तथा भूमि अधि प्राप्तियों में विलंब चालू वर्ष में अवसंरचना क्षेत्र में एफडीआई अंतर्वाहों में गिरावट के कुछ कारण थे।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) संबंधी पहलें

11.62 भारत सरकार आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों के सृजन में निजी क्षेत्र की दक्षताओं को लाने के लिए तथा गुणवत्ताकारी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी निजी भागीदारियों को प्रभावी उपकरण के रूप में बढ़ावा दे रही है। अवसंरचना में निजी भागीदारी (पीपीआई) संबंधी विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2006 से पीपीआई गतिविधि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है तथा इसने 43 नई परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं जिन्होंने 2011 में 20.7 बिलियन का कुल निवेश आकर्षित किया है। भारत 2011 के प्रथम सत्र में विकासशील देशों में कार्यान्वित नई पीपीआई परियोजना में लगभग आधे निवेश के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विकासशील विश्व में पीपीआई के लिए सबसे बड़ा बाजार रहा है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में, भारत ने 98 प्रतिशत क्षेत्रीय निवेश आकर्षित किया है तथा इस क्षेत्र में 44 नई परियोजनाओं में से 43 कार्यान्वित की हैं। पीपीपी संबंधी पहलों का ब्यौरा बॉक्स 11.5 : में दिया गया है।

चुनौतियां और दृष्टिकोण

11.63 वृहत आर्थिक परिप्रेक्ष्य से निवेश संबंधी माहौल के समग्र पुनरुज्जीवन के लिए अवसंरचना क्षेत्र में उच्च स्तरीय निवेश जरूरी है जिनसे अंत में अर्थव्यवस्था में सतत विकास हो सकता है। तथापि, चालू वृहत आर्थिक वातावरण में, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों को मध्यम से दीर्घावधि क क्षितिज तक समाधान करने की जरूरत है।

11.64 ऊर्जा घाटे तथा सर्वाधिक कमी दोनों के संदर्भ में देश में बिजली की समग्र कमी हुई है। फिलहाल समग्र ऊर्जा घाटा लगभग 8.6 प्रतिशत है तथा बिजली में सर्वाधिक घाटा लगभग 9.0 प्रतिशत

सारणी 11.12 : अवसंरचना में एफडीआई प्रवाह (मि. अमरीकी डॉलर)

क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	अप्रैल-नवम्बर	
				2011	2012
विद्युत	1,437.3	1271.77	1652.38	1436.75	456.00
गैर-परम्परागत ऊर्जा	497.9	214.40	452.17	241.62	443.08
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस	272.1	556.43	2029.98	1971.97	210.73
दूरसंचार	2554.0	1664.50	1997.24	1987.18	70.46
विमान परिवहन*	22.6	136.00	31.22	27.50	13.72
समुद्री परिवहन	284.9	300.51	129.36	99.42	36.23
बंदरगाह	65.4	10.92	0.00	0.00	0.00
रेलवे संबंधित संघटक	34.2	70.66	42.27	35.16	17.79
कुल (उपर्युक्त का)	**5,168.40**	**4,225.19**	**6,334.62**	**5,799.60**	**1,248.01**

स्रोत : औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

टिप्पणी: *विमान माल भाड़ा सहित विमान परिवहन। कुछ क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण होने से आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है।

बॉक्स 11.5 : भारत में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) संबंधी पहलें

भारत सरकार आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना संबंधी परिसंपत्तियों के सृजन में निजी क्षेत्र की दक्षताओं को लाने के लिए तथा गुणवत्ताकारी सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी निजी भागीदारियों को प्रभावी उपकरण के रूप में बढ़ावा दे रही है। कई नीतियों तथा केंद्र सरकार द्वारा ली गई संस्थागत पहलों के कारण भारत, हाल ही में विश्व में एक अग्रणी पीपीपी बाजार के रूप में उभरा है। 31 मार्च, 2010 तक 333,083 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 600 से ज्यादा परियोजनाओं की तुलना में दिसम्बर, 2012 तक अवसंरचना क्षेत्र में 543045 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 900 से ज्यादा पीपीपी परियोजनाएं थीं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात् बोली लगाने, निर्माण तथा प्रचालनात्मक अवस्थाओं में हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं का अनुमोदन

जनवरी, 2006 में इसके गठन के बाद, सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) ने 277,338.30 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 276 केंद्रीय परियोजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (224 प्रस्ताव), पत्तन (29 प्रस्ताव), विमान पत्तन (2 प्रस्ताव), पर्यटन अवसंरचना (1 प्रस्ताव), रेलवे (1 प्रस्ताव), आवास (27 प्रस्ताव) तथा खेल स्टेडियम (5 प्रस्ताव) शामिल हैं।

पीपीपी परियोजनाओं के लिए अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वीजीएफ)

'अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता हेतु स्कीम (अर्थक्षमता अंतराल निधियन स्कीम) के अंतर्गत 80,203.28 करोड़ रु॰ की कुल परियोजना लागत के साथ 145 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत 1,56,72.28 करोड़ रु॰ की वीजीएफ सहायता प्रदान की गई है तथा 902.96 करोड़ अर्थक्षमता अंतराल निधियन (वीजीएफ) के रूप में संवितरित किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत वीजीएफ सहायता के लिए पात्र क्षेत्रों की सूची में तेरह नए उप क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. शीतल श्रृंखला तथा फसल कटाई के बाद भंडारण सहित आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूंजी निवेश।

ii. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास।

iii. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों में आंतरिक अवसंरचना।

iv. तेल/गैस/द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा (नगर गैस वितरण नेटवर्क सहित), तेल व गैस लाइपलाइन (नगर गैस वितरण नेटवर्क सहित); सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) दूरसंचार (निश्चित नेटवर्क) (ओप्टिक फाइबर/वायर/केवल नेटवर्क शामिल हैं जो ब्रॉड बैंड/नेटवर्क उपलब्ध कराता है); दूरसंचार टावर्स, टर्मिनल मार्केट; कृषि बाजारों में सामान्य अवसंरचना तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं।

पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास के लिए सहायता

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) दिसम्बर, 2007 में प्रारम्भ की गई थी ताकि पीपीपी परियोजनाओं के लिए गुणवत्तापूर्वक परियोजना विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके तथा परामर्शदाताओं तथा परियोजनाओं की अधिप्राप्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अभी तक, 64.51 करोड़ रुपए की आईआईपीडीएफ सहायता के साथ 51 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं तथा इसमें से 25.00 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

राज्य और केंद्रीय संस्थाओं का क्षमता निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण

दिसंबर, 2010 में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय पीपीपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जो पिछले वर्ष 15 राज्यों तथा दो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात् भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में शुरु किया गया है। व्यापक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, 154 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 11 प्रशिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं जिन्होंने 1975 से ज्यादा जन कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए हैं, जो अपने क्षेत्रों में पीपीपी का कार्य करते हैं।

पीपीपी परियोजनाओं के लिए ऑन लाइन टूल किट्स 5 क्षेत्रों के लिए विकसित किए गए हैं जिनको वित्त मंत्री ने प्रारंभ किया था। ये विभाग की पीपीपी संबंधी वेबसाइट www.pppinindia.com पर उपलब्ध हैं पीपीपी टूल किट एक वेब-आधारित संसाधन है जो भारत में पीपीपी की अवसंरचना हेतु निर्णय लेने में सहायता करने और भारत में क्रियान्वित की जा रही पीपीपी अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाई गई है। पिछले एक वर्ष में 720 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगकर्ताओं ने बेहतर पीपीपी परियोजनाओं को बनाने के लिए इस वेब आधारित संसाधन का लाभ उठाया है।

पीपीपी नियम तथा पीपीपी नीति

जन अधिप्राप्ति समिति की सिफारिशों तथा जन अधिप्राप्ति विधेयक की अधिप्राप्ति तथा तैयारी में पारदर्शिता तथा जवाबदेही के बारे में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसरण में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीपीपी परियोजनाएं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया, वहनीय तथा धन के मूल्य को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त तथा कार्यान्वित की जाती हैं, मसौदा 'पीपीपी नियम' तथा पीपीपी नीति तैयार की गई हैं। इन्हें अंतिम रूप देने के लिए ये केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के स्तर पर व्यापक परामर्श प्रक्रिया से ग्रस्त हैं।

वैश्विक अनुभव इंगित करते हैं कि पीपीपी अच्छे तरीके से कार्य करती है जब वह निजी क्षेत्र की दक्षता तथा जोखिम अनुमानों को सरकारी क्षेत्र के सरकारी प्रयोजन से जोड़ती हैं। ये खराब कार्य करती हैं जब ये सरकारी क्षेत्र के दक्षता तथा जोखिम अनुमानों और निजी क्षेत्र के सरकारी प्रयोजन पर भरोसा करती हैं। भारत को वे पीपीपी प्रारंभ करने से सावधान रहना चाहिए जो समझदारी से जोखिमों और जिम्मेदारियों को नहीं बांटती। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थाओं में लचीलेपन का निर्माण करने की जरूरत होगी ताकि जब निजी पक्ष कम प्रदर्शन कर रहा हो तो संविदा वापस ली जा सके और पुन: बोली लगायी जा सके। सरकार को पीपीपी अनुभव अध्ययन करने की जरूरत है तथा मंत्रालयों, प्राधिकारियों तथा राज्य संरचना संविदाओं की मदद करने के लिए तथा समस्याग्रस्त संविदाओं पर पुन: विचार-विमर्श के लिए केन्द्रीय क्षमता बनाने की जरूरत है।

बॉक्स 11.6 : राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्संरचना

सरकार ने सितम्बर, 2012 में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय पुनर्संरचना की योजना को अनुमोदित कर दिया था। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

क. दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बकाया लघु अवधि के दायित्वों का 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा। यह पहले बांड्स में परिवर्तित किया जाएगा जो सहभागी उधारदाताओं को डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए जाएंगे और जो विधिवत रूप से राज्य सरकारों की गारंटी द्वारा समर्थित होंगे।

ख. अगले 5 वर्षों में विशेष प्रतिभूतियों तथा अदायगी तथा ब्याज के भुगतान द्वारा डिस्कॉम्स से राज्य सरकारों द्वारा देनदारियों का लिया जाना राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने की तारीख तक होगा।

ग. पुनर्निर्धारण ऋणों द्वारा तथा मूलधन पर स्थगन प्रदान करके शेष 50 प्रतिशत लघु अवधि के ऋण की पुनर्संरचना।

घ. ऋण की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण के साथ डिस्कॉम्स/राज्यों द्वारा की गई ठोस तथा परिमेय कार्रवाई होगी ताकि उनके प्रचलनात्मक निष्पादन को सुधारा जा सके।

ङ केन्द्र सरकार अनुदान द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो आरएपीडीआरपी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुमानित हानि से परे त्वरित एटीएंडसी हानि कटौती द्वारा बचाई गई अतिरिक्त ऊर्जा के मूल्य के बराबर होगी तथा योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा लिए गए दायित्वों पर राज्य सरकारों द्वारा मूलधन अदायगी के 25 प्रतिशत की पूंजीगत प्रतिपूर्ति सहायता।

है। ग्यारहवीं योजना में 55000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है जो दसवीं योजना में जोड़ी गई क्षमता के दोगुने से अधिक थी। बारहवीं योजना का उद्देश्य 88,000 मेगावाट ऊर्जा और जोड़ना है। अतिरिक्त क्षमता की यह सुपुर्दगी महत्वपूर्ण रूप से ईंधन उपलब्धता की समस्याओं को दूर करने पर निर्भर होगी, विशेष रूप से जब उत्पादित क्षमता का लगभग आधा निजी क्षेत्र से आना अपेक्षित है। निजी विकासकर्ता परियोजनाओं के वित्तपोषण में सक्षम नहीं हो सकेंगे यदि कोयला संयोजन हल नहीं कर लिए जाते और ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) को अंतिम रूप देने में विलंब होता हो। जबकि विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स)के वित्तपोषण की पुनर्संचना के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं (बॉक्स 11.6) इनको भावना से मानीटर तथा कायान्वित करने की जरूरत होगी।

11.65 यद्यपि भारत के पास व्यापक कोयला भंडार हैं, तथापि कोयले की मांग इसकी घरेलू उपलब्धता से ज्यादा है तथा कोल इंडिया ग्यारहवीं योजना में अपने कोयला उत्पादन के लक्ष्य पूरे करने में सक्षम नहीं है। अत: घरेलू कोयला आपूर्ति बारहवीं योजना के दौरान कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए निश्चित नहीं है। अत: यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि कोयले का घरेलू उत्पादन 540 मिलियन टन से योजना के अंत में 795 मिलियन टन के लक्ष्य तक 2011-12 में बढ़ा है। 255 मिलियन टन की वृद्धि कैप्टिव क्षमता के 64 मिलियन टन की वृद्धि मानी जाती है तथा बाकी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वहन की जा रही है। तथापि, इस वृद्धि के साथ भी 2016-17 में 185 मिलियन टन कोयले के आयात की जरूरत होगी जो विद्युत परियोजनाओं की वित्तपोषण लागत को आगे बढ़ा सकती है। कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, इससे संरचनात्मक सुधार हो सकते हैं। विकास संबंधी जरूरतों तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कोयला उत्पादन के लिए 12वीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंसों के प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास जैसी समस्याओं को त्वरित कार्रवाई प्रक्रिया में उपयुक्त रूप से दूर करने की जरूरत है। इसी कारक के कारण सड़क परियोजनाओं की प्रगति में भी नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में निर्णय लेने की गति को तेज करने के लिए निवेश संबंधी उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति के सृजन से अपेक्षा है कि वह अंतर-मंत्रालयी समन्वय को शामिल करके किसी भी मुद्दे को हल करेगी।

11.66 बाद में, सड़क परियोजनाओं का वित्तपोषण भी एक समस्या के रूप में उभरा है क्योंकि सड़क परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली उन्नत कंपनियां नई इक्विटी के चलते अधिक ऋण जुटाने में अक्षम हैं। निर्गम आवश्यकताएं हल की जाएंगी ताकि प्रोमोटर निर्माण के बाद इक्विटी बेच सकें, आने वाले प्रतिष्ठानों को सभी लाभ और दायित्व प्रदान कर सकें। तब प्रोमोटर नई परियोजनाओं के लिए इस प्रकार जारी की गई इक्विटी का प्रयोग कर सकते हैं। 12वीं योजना में सड़कों के विकास के लिए परिकल्पित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पीपीपी प्रणाली में परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की भी जरूरत है।

11.67 व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए निजी कंपनियों को कम प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए पारदर्शी नीतियों या तंत्रों को प्रदान करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। खनन और खनिज (विकास और विनिमय) विधेयक, 2011 का उद्देश्य ज्ञात निजीकरण के क्षेत्रों में प्रतियोगितात्मक बोली के जरिए तथा जहां खनिजीकरण नहीं है, वहां पहले तय समय के आधार पर खनन पट्टा अथवा भावी लाइसेंस प्रदान करने के लिए साधारण तथा पारदर्शी तंत्र उपलब्ध कराना है। तथापि, खुले, पारदर्शी तथा प्रतियोगितात्मक ढंग से राजस्व को अधिकतम कठोर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले देश की खनिज संपदा की विस्तृत भूगर्भीय मैपिंग की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के बारे में किसी नीति निर्धारण से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयन की प्रक्रिया सही, तर्कसंगत, बिना भेदभाव की, पारदर्शी है

तथा इसका उद्देश्य स्वस्थ प्रतियोगिता तथा समान व्यवहार का संवर्धन करना है।

11.68 बहुत से बाह्य तथा आंतरिक कारकों के कारण, भारत में एयरलाइन प्रचालनों की व्यवहार्यता दबाव में आ गयी है। विमानन टरबाईन ईंधन (एटीएफ) की उच्च तथा बढ़ती हुई लागत के कारण उच्च प्रचालन लागत पर्यावरण, साथ में रुपए का अवमूल्यन भारत में कैरियरों के प्रचालन को अव्यवहार्य बना रहे हैं। नाथन इकनामिक कन्सल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (नाथन इंडिया) विशेषज्ञ रिपोर्ट जिसमें मूल्यनिर्धारण तथा कर व्यवस्था जो विमानन टरबाइन ईंधन को नियंत्रित कर रही हैं, के बारे में प्रश्न किया गया है, में निष्कर्ष है कि सिंगापुर, हांगकांग, दुबई आदि जैसे क्षेत्रों में प्रतियोगिता केन्द्रों में प्रचलित एटीएफ मूल्यों की तुलना में भारत में एटीएफ मूल्य काफी अधिक (लगभग 40%) है। इसलिए कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। विशेष रूप से एटीएफ संबंधी मूल्यवर्धित कर जो अधिकतर राज्यों में 20–30 प्रतिशत की सीमा में है। नागर विमानन मंत्रालय का विचार है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के संबंधित प्रावधान के अंतर्गत वस्तुओं की घोषित श्रेणी के अंतर्गत एटीएफ शामिल किया जाना चाहिए ताकि 5 प्रतिशत की एकरूप लेवी प्राप्त की जा सके। भारत में एटीएफ के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जरूरत भी समान रूप से महत्वपूर्ण विमानन में सामान्यत: तथा एटीएफ में विशेष रूप से उच्च कर व्यवस्था विमानन से उपलब्ध व्यापक आर्थिक लाभों को कम करेगी, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास तथा समग्र सरकारी राजस्व आधारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

11.69 बारहवीं योजना के लिए रेलवे में क्षमता का विकास एक अन्य तत्काल प्राथमिकता है। रेलवे में क्षमता काफी पीछे रह गई है जो जरूरी है तथा संभाव्य है, विशेष रूप से सुधरती हुई ऊर्जा दक्षता के हित में सड़क परिवहन से रेल में स्थानांतरण की जरूरत को देखते हुए तथा विकास में कार्बन फुटप्रिंट को घटाते हुए बारहवीं योजना का वित्तपोषण पैटर्न यह दर्शाता है कि भारतीय रेलवे का आधुनिकीरण केवल सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) पर निर्भर रहकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसाधनों का 62% गैर जीबीएस संसाधनों से सृजित किया जाएगा तथा लगभग 20% निजी क्षेत्र निवेश के जरिए सृजित किया जाएगा। जहां भारतीय रेलवे आयतन को आधार मानकर कम लागत की कार्यनीति अपनाती है, उस भाग का पता लगाकर, मात्रा की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाकर तथा उन खंडों का लाभ उठाकर जहां यह उच्च गुणवत्ता की सेवाएं तथा कमांड प्रिमियम मूल्यों को प्रदान करके विविधीकरण की कार्यनीति अपनाती हैं, संसाधनों को सृजन करने के लिए स्पष्ट कार्यनीति तैयार करने की जरूरत है।

11.70 जैसाकि बारहवीं योजना के दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) में लगभग 8% की वृद्धि दर सभी संसाधनों से कुल ऊर्जा प्रयोग में लगभग 6% की वृद्धि दर की अपेक्षा रखती है, दुर्भाग्यपूर्वक, इस मांग को पूरा करने के लिए घरेलू ऊर्जा आपूर्ति के विस्तार के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता बहुत ही सीमित है। कोयले को छोड़कर देश ऊर्जा संसाधनों में सुसंपन्न नहीं है तथा नीति में विकृति का अस्तित्व मांग और आपूर्ति के प्रबंधन को और मुश्किल बना देता है। तद्नुसार छोटी अवधि की कार्रवाई अवसंरचना में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आई अड़चनों को दूर करने के लिए जरूरी है, विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें विद्युत स्टेशनों को ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करना, डिस्कॉम्स की वित्तीय पुर्नसंरचना तथा नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के संदर्भ में स्पष्टत: शामिल हैं। उसी समय, दीर्घावधिक कार्यनीति को कोयला उत्पादन, पेट्रोलियम मूल्य विकृति, प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण, शहरीकरण प्रक्रिया का प्रभावी प्रबंधन आदि जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।